वार्षिक रिपोर्ट

2022

इरकॅन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी) सीआईएन:

U45500DL2017GOI3174

विषय सूची

इरकॉनडीएचएचएल का परिचय.......... 3

निदेशक मंडल 4

संदर्भ सूचना..5

इक्विटी और ऋण 6

अध्यक्ष का संबोधन 7

निदेशक की रिपोर्ट और उसके परिशिष्ट:

निदेशक की रिपोर्ट.. 12

वार्षिक रिर्टन का सार (फॉर्मसं.एमजीटी-9).........30

संबंधित पक्ष संव्यवहार(फॉम सं. एओसी-2)...40

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 44

वित्तीय विवरण:

लेखापरीक्षा रिपोर्ट 48

तुलन पत्र..65

लाभ और हानि विवरण.............................. 66

रोकड़ प्रवाह विवरण.................................. 67

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 69

वित्तीय विवरणों के नोट 108

नियंत्रक एव महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां...149

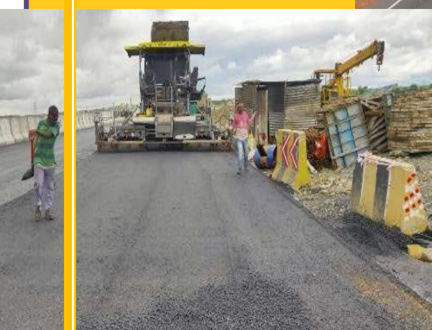

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल) को दिनांक 19 जून, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे हवेरी को छह लेन का बनाने की परियोजना के निष्पादन हेतु दिनांक 11 मई, 2017 को इसकी धारक कंपनी - इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन") द्वारा विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में निगमित किया गया है।

निदेशक मंडल

श्री अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष

श्री पराग वर्मा
निदेशक

श्री रोहित परमार
निदेशक

श्री मसूद अहमद
निदेशक

सुश्री रितु अरोड़ा
निदेशक

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

श्री नगनगौडा हनुमंथगौडा पाटिल

मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

सुश्री कृतिका गुप्ता

(19 अगस्त 2020 से 01 जुलाई 2021 तक)

श्री महादेब मंडल
(01 जुलाई 2021 से)

कंपनी सचिव (सीएस)

सुश्री पूजा रस्तोगी

(01.04.2019 से 31.03.2022)

श्री प्रदीप कुमार बैसोया (12 अप्रैल 2022 से)

ईपीसी संविदाकार

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

जयेश परमार एंड एसोसिएट्स

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स रवी सहानी एंड कंपनी

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स अरविंद रतन एंड कंपनी

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)
टॉल्सटाय मार्ग, टॉल्सटाय रोड, नई दिल्ली-110001

सम्पर्क ब्यौरा

कंपनी सचिव
ई-मेल: ircondhhl@gmail.com
दूरभाष: 011-26545786

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली

इक्विटी और ऋण
(31.03.2022 को)

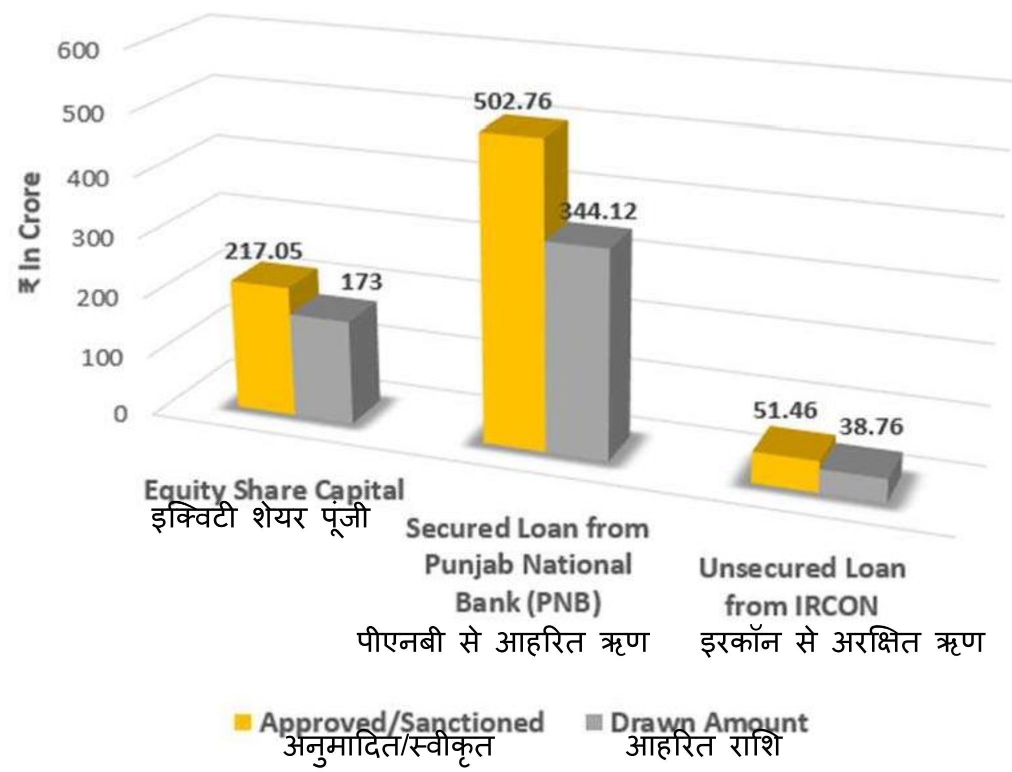

अध्यक्ष का संबोधन

दिनांक 23 अगस्त 2022 को आयोजित पांचवीं (5वीं) वार्षिक साधारण बैठक में

प्रिय शेयरधारकों,

आरंभ में कृपया आपके व आपके प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। मुझे इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल) की पांचवीं (5वीं) वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित विवरणों को प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं।
मैं आपके समक्ष इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनडीएचएचएल को दिनांक 11 मई 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे हवेरी को छह लेन का बनाने की परियोजना के निष्पादन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन ('एसपीवी') के रूप में निगमित किया गया था। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से शुरू होने वाली 912 दिनों (30 महीने) की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से आरंभ होने वाली 15 वर्ष की प्रचालन और अनुरक्षण अवधि

शामिल है, जिसकी कुल परियोजना बोली लागत 1177 करोड़ रूपए जमा मूल्य संवर्धन है और इसमें संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत शामिल नहीं है।

वर्ष के दौरान, दिनांक 28 मई, 2021 से, परियोजना को 72 किमी की परियोजना लंबाई के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) मिल गया है और तदनुसार, परियोजना ओ एंड एम चरण में प्रवेश कर गई है। मुख्य कैरिज-वे की 6.88 किमी की शेष लंबाई और 49.848 किमी सर्विस रोड की शेष लंबाई को प्राधिकरण द्वारा करार से अलग कर दिया गया है, जिसे छूटग्राही से परे के कारणों की वजह से ऐसा किया गया है। रियायतग्राही ने प्राधिकरण से कार्यों को फिर से प्रदान करने का अनुरोध किया है और प्राधिकरण का निर्णय की प्रतीक्षा है। इरकॉनडीएचएचएल ने 10 अक्टूबर, 2021 से दो वर्ष लिए मेसर्स जी आर इंजीनियर्स एंड कांट्रैक्टर्स को ओ एंड एम टेंडर प्रदान किया है।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान, इरकॉनडीएचएचएल ने परिचालन गतिविधियों से 797.76 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त किया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 586.67 लाख रूपए के कर पश्चात लाभ/(हानि) प्राप्त किया है।

इरकॉनडीएचएचएल ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 502.76 करोड़ रूपए की सावधि ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया है।

वर्ष के दौरान, 502.76 करोड़ रूपए के कुल स्वीकृत सावधि ऋण में से 344.12 करोड़ रूपए, पीएनबी द्वारा वितरित किए गए, इसके बाद, इरकॉन से प्राप्त 326.72 करोड़ रूपए की बकाया राशि का पूरा भुगतान किया गया है।

अनुपालन और प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे जुड़े नियमों के तहत अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समझौता ज्ञापन (एमओये)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने इरकॉन से एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट देने का अनुरोध किया है।

आभारोक्ति

मैं निदेशक मंडल की ओर से सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और कंपनी के लेखापरीक्षकों के

मूल्यवान सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो कि हमारी मूल्यवान संपत्ति हैं। उनका समर्पण, विवेक, कड़ी मेहनत और गहन मूल्य, कंपनी की प्रगति के प्रमुख तत्व हैं।

हम भावी प्रगति पथ हेतु उनके निरंतर सहयोग की कामना करते हैं।

कृते और की ओर से
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

ह/-
(अशोक कुमार गोयल)
अध्यक्ष
डिन: 07654014

दिनांक: 04.08.2022
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित **5वीं वार्षिक रिपोर्ट** प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

<u>व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं : कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति</u>

इरकॉन देवांगेरे-हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन दिनांक 11 मई, 2017 को विशेष कार्य व्यवस्था (एसपीवी) के रूप में दिनांक 19 जून, 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचडीपी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाना के परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु किया गया था।

परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से शुरू होने वाली 912 दिनों (30 महीने) की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) से आरंभ होने वाली 15 वर्ष की प्रचालन और अनुरक्षण अवधि शामिल है, जिसकी कुल परियोजना बोली लागत 1177 करोड़ रूपए जमा मूल्य संवर्धन है और इसमें संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत शामिल नहीं है। इस कार्य के कार्यक्षेत्र में मौजूद चार लेन के मुख्य कैरिज-वे के 78.923 किमी (राजमार्ग की कुल लंबाई), को छह लेन का बनाने का कार्य तथा 154.654 किमी की सेवा सड़क लंबाई, जिसमें प्रमुख पुल, पुलिया, वाहनीय अंडरपास, पैदलपथ अंडरपास, फ्लाइओवर तथा अन्य संबद्ध कार्य शामिल हैं।

परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि 24.07.2020 थी। एनएचएआई ने कोविड-19 के कारण 28.05.2021 तक परियोजना के लिए समय विस्तार (ईओटी) को मंजूरी दी है और कुछ प्रमुख सूची मदों के साथ 28.05.2021 से अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी किया है। तदनुसार, उक्त तिथि से, परियोजना ने 15 वर्षों की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव चरण में प्रवेश किया था और खुली निविदा के माध्यम से आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) कार्य हेतु एक एजेंसी को नियुक्त करने के लिए, मैसर्स जी आर इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, मथुरा (यूपी) को दिनांक 07.10.2021 से परिचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) कार्य प्रदान किया गया है।

बाधाओं, जो रियायतग्राही के कारण नहीं थीं की वजह से प्राधिकरण ने 6.88 किलोमीटर मुख्य कैरिज-वे और 49.848 किलोमीटर सर्विस रोड का काम बंद कर दिया है. देवांगेरे और हवेरी दोनों जिलों के जिला कलेक्टर ने 6.88 किलोमीटर की लंबाई के शेष कार्य को करने के लिए सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है. इसलिए, कार्यक्षेत्र से बाहर किए गए कार्य के पुन:प्रदान किए जाने के लिए आवेदन अनुपूरक समझौते के माध्यम से प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया था और यह प्राधिकरण के पास लंबित है।

शेष कार्यों के विवरण के कारण उच्च वित्तीय प्रभाव से बचने के लिए अगले एक से दो वर्षों के भीतर, शेष कार्य को यथासंभव निष्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, इरकॉनडीएचएचएल ने परिचालन गतिविधियों से 797.76 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त किया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 586.67 लाख रूपए के कर पश्चात लाभ/(हानि) प्राप्त किया है।

इरकॉनडीएचएचएल ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 502.76 करोड़ रूपए की सावधि ऋण सुविधा का लाभ उठाया है।

वर्ष के दौरान, 502.76 करोड़ रूपए के कुल स्वीकृत सावधि ऋण में से 344.12 करोड़ रूपए, पीएनबी द्वारा वितरित किए गए, इसके बाद, इरकॉन से प्राप्त 326.72 करोड़ रूपए की बकाया राशि का पूरा भुगतान किया गया।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने आपकी कंपनी को 502.76 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए एए-(डबल ए माइनस) रेटिंग प्रदान की है।

वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

दिनांक 31 मार्च 2022 को वित्तीय विवरण सूचक:

(राशि रूपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	इक्विटी शेयर पूंजी	17,300.00	16,405.00
2.	अन्य इक्विटी (रिजर्व और अतिरेक सहित)	2,392.23	419.56
3.	निवल परिसंपत्ति	19,692.23	16,824.56
4.	ऋण	36,404.65	33,855.15
5.	**कुल संपत्ति और देनदारियां**	**61937.06**	**60044.99**
6.	प्रचालन से राजस्व	797.76	19,306.31
7.	अन्य आय	3,773.32	89.42
8.	**कुल आय (6) + (7)**	4,571.08	19,395.73
9.	**कर पूर्व लाभ (8)-(11)**	836.90	86.87
10.	**लाभ/(हानि) कर के बाद**	**586.67**	**64.74**
11.	पिछले वर्षों के लिए लाभ/हानि का संतुलन	419.56	354.82
12.	शेष राशि अग्रेषण	1006.23	419.56

2. लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोजन:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

इंड एएस की अनुप्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' के तहत प्रतिधारित आमदनी के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रतिधारित आमदनियों में 1006.23 लाख रूपए की शेष राशि है।

3. शेयर पूंजी /डीमेटिरियलाइजेशन:

दिनांक 31 मार्च 2022 को कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमश: 217.05 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर और 173 करोड़ रूपए है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 17,30,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने राइट इश्यू के माध्यम से कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी को 164.05 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 173 करोड़ रुपये कर दिया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए राइट्स इश्यू का विवरण इस प्रकार है:

आवंटन की तिथि	आवंटित इक्विटी शेयरों की सं. (प्रति10 रूपए)	आवंटिती का नाम
22 अक्तूबर, 2021	76,90,000	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)
30 दिसंबर, 2021	12,60,000	

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के पास इरकॉनडीएचएचएल की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी है।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 दिनांक 22.01.2019 के नियम 9ए के अनुसार, कंपनी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के कारण, अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

4. परियोजना से रोकड़ प्रवाह:

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह रूपए **(4,929.65) लाख रूपए** है।

5. सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण:

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

6. अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव और वैश्विक महामारी की चुनौती से निपटने के लिए कंपनी द्वारा उपाय:

कोविड-19 महामारी ने अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट उत्पन्न किया है और उपभोक्ता भावनाओं को प्रभावित करते हुए आर्थिक गतिविधियों और वैश्विक व्यापार को बाधित किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में, राष्ट्र ने चल रही कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने नागरिकों के स्वास्थ्य की उच्च गंभीरता और उच्च मृत्यु दर का अनुभव किया। समीक्षाधीन वर्ष की पहली छमाही के दौरान रुक-रुक कर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में नियमित व्यवधान के साथ, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बाजार की मांग काफी कमी थी। हालांकि, कंपनी ने परिचालन उत्कृष्टता, विपणन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना और अपने कर्मचारियों और समुदाय को इसके मूल में रखते हुए

महामारी से निपटने के प्रयास किए हैं। कंपनी ने नोवेल कोरोनावायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा सुझाए गए सभी निर्धारित सावधानियां बरती हैं। वित्तीय विवरणों में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के विवरण का प्रकटन किया गया है।

7. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

निदेशक मंडल:

वर्ष 2021-22 के दौरान पदनाम के साथ निदेशकों की श्रेणी और नाम

कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, कंपनी के प्रबंधन का नेतृत्व निम्नलिखित गैर-कार्यपालक (नामित) निदेशकों द्वारा किया जाता है:

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या कार्यमुक्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष	07654014	13.05.2021 को नियुक्त 18 अगस्त 2021 को आयोजित चौथे एजीएम में नियमितिकरण 01.10.2021 को कार्यमुक्त
श्री अशोक कुमार गोयल, अध्यक्ष	05308809	01.10.2021 को नियुक्त
श्री सुरजीत दत्ता, निदेशक	06687032	01.04.2022 को कार्यमुक्त
सुश्री रितु अरोड़ा, निदेशक	00002455	13.05.2021 को नियुक्त 18 अगस्त 2021 को आयोजित चौथे एजीएम में नियमितिकरण
श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक	07598920	13.05.2021 को कार्यमुक्त
श्री मसूद अहमद, निदेशक	09008553	02.08.2021 को नियुक्त
श्री पराग वर्मा , निदेशक	05272169	29.12.2021 को नियुक्त

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, होल्डिंग कंपनी, इरकॉन ने श्री सुरजीत दत्ता के स्थान पर दिनांक 01 अप्रैल 2022 को श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा [डीआईएन: 08517013], मुख्य महाप्रबंधक, वित्त, इरकॉन को नामित निदेशक के रूप में नामित किया था। तत्पश्चात,

श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा के स्थान पर, इरकॉन ने दिनांक 01.06.2022 को श्री रोहित परमार (डीआईएन नंबर 08190141) को मुख्य महाप्रबंधक, वित्त, इरकॉन के रूप में नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

श्री पराग वर्मा (डीआईएन: 05272169) और श्री रोहित परमार को कंपनी के अपर अंशकालिक निदेशक के रूप में क्रमश:दिनांक 29 दिसंबर, 2021 और 1 जून, 2022 को नियुक्त किया गया था, जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर रहेंगे। शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को आगामी एजीएम की सूचना में शामिल किया गया है।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री पराग वर्मा और श्री रोहित परमार से आगामी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी देते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

बोर्ड ने कंपनी के निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री योगेश कुमार मिश्रा, श्री सुरजीत दत्ता, श्री श्याम लाल गुप्ता और श्री मुगुनथन बोजू गौड़ा द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए सराहना की है।

श्री अशोक कुमार गोयल (डीआईएन 05308809) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हुए हैं और पात्र होने के कारण, उनहोंने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया है। अन्य आवश्यक विवरणों के साथ उनकी पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की मांग करने वाला एक प्रस्ताव, नोटिस का भाग है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को कंपनी के प्रमुख:

नाम	पद
श्री नगनगौडा हनुमंथगौडा पाटिल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री कृतिका गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी (30.06.2021 तक)
श्री महादेब मंडल	मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.07.2021 से प्रभावी)
सुश्री पूजा रस्तोगी	कंपनी सचिव

	(31.03.2022 को पदमुक्त)

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, सुश्री पूजा रस्तोगी के स्थान पर दिनांक 12 अप्रैल, 2022 को श्री प्रदीप कुमार बेसोया को कंपनी सचिव नियुक्त किया गया था और कंपनी के केएमपी के रूप में घोषित किया गया था।

8. बोर्ड की बैठकें:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड ने 15.06.2021, 19.07.2021, 10.08.2021, 14.10.2021, 22.10.2021, 08.11.2021, 23.12.2021, 30.12.2021, 24.01.2022 और 08.02.2022 को दस (10) बैठकें आयोजित की थीं। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:-:

बैठक की तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
15.06.2021	4	4
19.07.2021	4	4
10.08.2021	4	4
14.10.2021	4	3
22.10.2021	4	4
08.11.2021	4	3
23.12.2021	4	4
30.12.2021	5	4
24.01.2022	5	4
08.02.2022	5	4

नीचे दी गई तालिका वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाती है:

नाम के निदेशक	बैठक की तारीख										18.08.2021 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
	15.06.2021	19.07.201	10.08.2021	14.10.2021	22.10.2021	08.11.2021	23.12.2021	30.12.2021	24.01.2022	08.02.2022				
श्री अशोक कुमार गोयल	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	हां	**10**	**9**	**90**
श्री योगेश कुमार मिश्रा	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	हां	**3**	**3**	**100**
(01.10.2021 तक)														
श्री सुराजीत दत्ता	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	**हां**	**10**	**9**	**90**
सुश्री रितु अरोडा (13.05.2021 से)	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	×	×	✓	**हां**	**10**	**7**	**70**
श्री मसूद अहमद (02.08.2021 से)	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	हां	**8**	**8**	**100**
श्री पराग वर्मा (29.12.2021 से	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	**3**	**3**	**100**

9. <u>स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देश:</u>

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम,

2014 के नियम 4 में संशोधन, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण इसके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता और बोर्ड समितियों यथा लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता से छूट दी गई है।

इरकॉनडीएचएचएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, को अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासान निदेशकों इरकॉन डीएचएचएलप पर लागू नहीं हैं।

10. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखा विवरण "निरंतर" आधार पर तैयार किए गए हैं।

ड.) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

11. वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 की नियम-12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-92(3) के अनुसार, फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस रिपोर्ट का भाग है जो **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है।

12. निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

13. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मैसर्स सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएजी के दिनांक 18.08.2021 के पत्र सं.सीए/वी/सीओवाई/ केन्द्रीय सरकार/आईडीएचएचएल (I)395 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

लागत लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने लागू नियमों / मार्गदर्शन नोट, इत्यादि के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, लागत लेखाकार को नियुक्त किया है।

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने लागत खाते और रिकॉर्ड बनाए हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक:

मैसर्स जयेश परमार एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था।

आतंरिक लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने मैसर्स अरविंद रतन एंड कंपनी, एलएलपी. सनदी लेखाकार को कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में को नियुक्त किया है।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

15. सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र:

सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाणपत्र दिनांक 17.05.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया था और इसे **<u>अनुबंध-2</u>** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

16. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण:

वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के **<u>अनुबंध-3</u>** के रूप में संलग्न है।

17. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

18. कॉर्पोरेट शासन उत्तरदायित्व (सीएसआर):

प्रत्येक कंपनी, जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल सम्पत्ति 500 करोड़ रूपए या उससे अधिक है या 1000 करोड़ रूपए या अधिक का कारोबार है या 5 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है, उसे सीएसआर नीति के अनुसरण में वित्त वर्ष से ठीक पहले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त औसत निवल लाभ का कम से कम 2% खर्च करना होगा।

चूंकि, कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष में उपरोक्त सीमा को पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता भी कंपनी पर लागू नहीं होती है। हालांकि, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ उपर्युक्त सीमा से अधिक है, इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का प्रावधान कंपनी पर लागू होगा।

19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि में संलिप्त नहीं है और इसलिए कंपनी के विवरण का प्रस्तुतिकरण हमारी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: -

आपकी कंपनी किसी भी निर्माण गतिविधि का निष्पादन नहीं कर रही है और इसलिए कंपनी के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत करना लागू नहीं है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और आउटगो: -

वर्ष 2021-22 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय और विदेशी मुद्रा आउटगो नहीं था।

20. जोखिम प्रबंधन:

बोर्ड की मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

21. कर्मचारियों के विवरण:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉनडीएचएचएल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम 5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

22. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

23. सार्वजनिक जमा राशि:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

24. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। सभी लेन-देन उचित रूप से अधिकृत रूप से रिकॉर्ड किए गए हैं और प्रबंधन को रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए है। कंपनी वित्तीय विवरणों में लेखा बहियों और रिपोर्टिंग को ठीक से बनाए रखने के लिए सभी लागू लेखा मानकों का पालन कर रही है। आपकी कंपनी अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप उचित और पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना जारी रखती है।

25. कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित

करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

26. **खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर खुद को ऑन-बोर्ड करने की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के अंतर्गत कंपनी दिनांक 13.12.2019 से टीआरईडीएस में शामिल हो गई है ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाया जा सके।

27. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा-22 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज की गई।

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पीओएसएच नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

28. सतर्कता तंत्र:

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या संहिता के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित किया है।

इस तंत्र में, इसका लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान है। इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन से नामित और प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए, इरकॉन की व्हिसल ब्लोअर नीति लागू होती है, जो वेबसाइट https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Whistle-Blower-Policy.pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी में अन्य कार्यरत कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र के तहत शिकायत/रिपोर्टिंग हेतु निम्नलिखित को संबोधन करें:

श्री अशोक कुमार गोयल, निदेशक,

इरकॉन देवांगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल)

पता: इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017

फोन नंबर: +91 9560595019

ईमेल आईडी: ak.goyal@ircon.org

29. सूचना का अधिकार:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

30. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो कंपनी के मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निदेशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है।

31. सचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

32. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम-9 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत आवश्यक प्रपत्र एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षक से "सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" के **अनुबंध-4** के रूप में प्रस्तुत है।

33. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक टिप्पणियाँ

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शून्य अवलोकन के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) से शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

34. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

35. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

कंपनियां, जो एक सीपीएसई की सहायक कंपनी हैं, दिनांक 10 मार्च, 2022 के समेकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, अपनी धारक कंपनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी। आपकी कंपनी, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और एसपीवी के रूप में निगमित होने के कारण इरकॉन (धारक कंपनी) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने इरकॉन से एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट दिए जाने का अनुरोध किया है।

36. आभारोक्ति:

हम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) लेखापरीक्षकों और हमारे मूल्यवान ग्राहक - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन की आशा करते हैं।

हम अपने ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, बैंकरों को वर्ष के दौरान उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से ही हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के
निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह/-
अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष
डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध– 1

फॉर्म सं.एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

[कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 92(3) तथा कंपनी (प्रशासन और प्रबंधन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा:

1.	सीआईएन	**U45500DL2017GOI317401**
2	पंजीकरण तिथि	**11 मई 2017**
3	कंपनी का नाम	**इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड**
4	क) श्रेणी ख) कंपनी की उप-श्रेणी	**सार्वजनिक कंपनी** **सरकारी कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)**
5	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	**सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017** **दूरभाष: 011-026545786** **ई-मेल: Ircondhhl@gmail.com**
6	कंपनी सूचीबद्ध है या गैर-सूचीबद्ध	**नहीं**
7	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम तथा संपर्क ब्यौरा	**शून्य**

II. कंपनी की प्रधान व्यवसायिक गतिविधियां: (कंपनी की सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं।)

क्र.सं	**मुख्य उत्पाद/ सेवा का नाम और विवरण**	**उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत**
1.	कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना एन.एच-4) पर राजमार्ग परियोजना निमर्ण की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करना : निर्माण सेवाएं: राजमार्ग परियोजना (ईपीसी ठेकेदार के माध्यम से)	42101	100

III. धारक, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण :

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनियों	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	धारक कंपनी	100% *	अनुच्छेद 2(46)

* 100% शेयर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) तथा इसके 07 नामितियों के पास हैं।

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणीवार शेयर धारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [01अप्रैल 2021 को]				वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2022 को]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार(सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय निगम#	शून्य	164050000	164050000	100%	शून्य	173000000	173000000	100%	-
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान	-			-	-	-	-	-	
च) कोई अन्य	-			-	-	-	-	-	
(2) विदेशी	-			-	-	-	-	-	
प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता (क)	**शून्य**	**164050000**	**164050000**	**100%**	**शून्य**	**173000000**	**173000000**	**100%**	**-**
ख. जन शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचवल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-

छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (बताएं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थागत									
क) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) 1 लाख रूपए तक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) 1 लाख रूपए से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रवासी भारतीय विदेशी निगमित निकाय	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
विदेशी राष्ट्रीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपकुल(ख)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**शून्य**	**164050000**	**164050000**	**100%**	**शून्य**	**173000000**	**173000000**	**100%**	**-**

निकाय निगम: 100% शेयरधारिता निगमित निकाय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 07 नामितियों के पास है।

ख) प्रमोटरों की शेयरधारिता:

क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में 1 अप्रैल 2021 को शेयरधारिता			वर्ष के आरंभ में 31 मार्च 2022 को शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ऋणयुक्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में प्रतिभूति/ ऋणयुक्त शेयरों का %	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड*	164050000	100%	शून्य	173000000	100%	शून्य	0.00%
	कुल	**164050000**	**100%**	**शून्य**	**173000000**	**100%**	**शून्य**	0.00%

***प्रमोटरों की शेयरधारिता:** कंपनी प्रत्येक 10 रूपए के 17,29,99,200 इक्विटी शेयरों के साथ, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है अर्थात सम्पूर्ण शेयरधारिता भारतीय प्रमोटरों के पास है। अन्य 07 शेयरधारक **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से** शेयरों को धारित कर रहे हैं।
* दिनांक 01 अप्रैल 2022 को इरकॉन की ओर से नामित शेयरधारक श्री सुरजीत दत्ता द्वारा धारित 100 शेयरों को इरकॉन की ओर से नामित शेयरधारक सुश्री रितु अरोड़ा को हस्तांतरित किया गया।

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन :

क्र.	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता*		वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता *	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	**16,40,50,000**	100%	**16,40,50,000**	100%
2.	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट				

	इक्विटी आदि):					
	आवंटन की तिथि	कारण				
	22.10.2021	राइट इश्यु	76,90,000	100%	17,17,40,000	100%
	30.12.2021	राइट इश्यु	12,60,000	**100%**	17,30,00,000	100%
3.	वर्ष के अंत में		**17,30,00,000**		**17,30,00,000**	**100%**

घ) दस शीर्ष शेयरधारों की शेयरधारिता पैटर्न :

(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

क्र.सं	**प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों हेतु**	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता***		**वर्ष के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता**	
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1.	वर्ष के आरंभ में	**लागू नहीं**			
	वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):				
	वर्ष के अंत में				

ड.) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक (निदेशकों) और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	**31 मार्च 2021 को वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**	**31 मार्च 2022 के दौरान संचित संचयी शेयरधारिता**

	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में				
वृद्धि/कमी के लिए कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि/कमी का तारीख-वार ब्यौरा (उदाहरण के लिए: आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	**शून्य**			
वर्ष के अंत में				

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड हेतु और की ओर से कंपनी के निदेशकों यथा श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा प्रति 10 रुपए के 200 इक्विटी शेयर धारित हैं और श्री पराग वर्मा, श्री मुगुंथन बोजू गोडा, द्वारा प्रति 10 रुपए के 100 शेयर धारित हैं।*

च) ऋणग्रस्तता – कंपनी की ऋणग्रस्तता में बकाया/संचित किन्तु भुगतान के अदेय ब्याज शामिल है।

विवरण	जमा राशियों (इरकॉन से) के बिना रक्षित ऋण	जमा राशियों (पीएनबी से) के बिना रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता					
i) मूल राशि	-	33,093.15	2,646.00	-	35,739.15
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	223.45	-	-	223.45
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-	
कुल (i+ii+iii)	**-**	**33,316.60**	**2,646.00**	**-**	**35,962.60**
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
* संवर्धन	-	3,203.69	1,230.00	-	4,433.69
* आवर्धन	-	(2,107.64)	-	-	(2,107.64)

निवल परिवर्तन	-	1,096.05	1,230.00	-	2,326.05
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता में परिवर्तन					
i) मूल राशि	-	34412.65	3876.00	-	38288.65
ii) देय किन्तु अप्रदत्त ब्याज	-	-	-	-	-
iii) संचित किन्तु अदेय ब्याज	-	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**-**	**34412.65**	**3876.00**	**-**	**38288.65**

V. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक -

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों तथा/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	***पारिश्रमिक का विवरण @***	***एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम***	***कुल राशि***
1.	*सकल वेतन*	***लागू नहीं***	
	1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ		
2.	*स्टॉक ऑप्शन*		
3.	*स्वीट क्विटी*		
4.	*कमिशन* *- लाभ के % के रूप में* *- अन्य, बताएं...*		
5.	*अन्य, कृपया बताएं*		
	कुल (क)		
	अधिनियम के अनुसार सीमा		

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण @	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (1)		
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क		
	कमिशन		
	अन्य, कृपया बताएं		
	कुल (2)		
	कुल (ख)=(1+2)		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग		

@ वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सभी गैर कार्यपालक (नामिति) निदेशक कंपनी के बोर्ड में हैं जो बैठक शुल्क या कमिशन के रूप में शुन्य पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /डब्ल्येटीडी) का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				
		श्री एन.पाटिल, सीईओ	श्री महादेब मंडल, सीएफओ (जुलाई 2021 से मार्च 2022)	सुश्री पूजा रस्तोगी, सीएस	सुश्री कृतिका गुप्ता, सीएफओ (अप्रैल, 2021 से जून, 2021)	कुल
1	सकल वेतन	14.25	13.04	5.16	4.40	36.85
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1)					

	में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन					
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-	-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वीट क्विटी	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-
	अन्य, बताएं...	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया बताएं	-	-	-	-	-
	निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीआरपी)	-	-	-	0.86	0.86
	-सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, भविष्य निधि)	1.71	4.28	0.62	1.32	7.93
	कुल	**15.96**	**17.32**	**5.78**	**6.58**	**45.64**

VI. जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति:

प्रकार	कंपनी अधिनियम का अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/अपराधों की आवृति का ब्यौरा	प्राधिकार [आरडी /एनसीएलटी /न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है(ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					
ग. चूककर्ता अन्य अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
कंपाउंडिंग					

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह/-

अशोक कुमार गोयल

अध्यक्ष

डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022

स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध

शेयरधारक की सूची

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी = 173 करोड़ रूपए

शेयरधारकों का नाम	**धारित इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रति 10 रूपए)**	**धारिता का प्रतिशत**
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल की पांचवीं एजीएम के लिए सुश्री अरोड़ा, कंपनी सचिव/इरकॉन को अपने प्रतिनिधि के रूप में इरकॉन द्वारा नामित किया गया है)	172,999,200	99.99
अशोक कुमार गोयल*	200	नगण्य
श्याम लाल गुप्ता*	100	नगण्य
सुरेंद्र सिंह*	100	नगण्य
रितु अरोड़ा*	100	नगण्य
पराग वर्मा*	100	नगण्य
सुभाष चांद*	100	नगण्य
बी मुगुनथन*	100	नगण्य
कुल	**173,000,000**	**100**

** नामिती शेयरधारकों इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की ओर से इन शेयरों को धारित किए हुए हैं।*

(वित्तीय वर्ष 2021-22 के समापन के पश्चात, इरकॉन ने नामिति शेयरधारक के रूप में श्री योगेश कुमार मिश्रा और श्री सुरजीत दत्ता के नामांकन को वापस ले लिया है और तथा सुरेंद्र सिंह तथा सुश्री रितु अरोड़ा को नामित किया गया है)

अनुबंध-2

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों सहित तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है-:

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कंपनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है, जैसा कि कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुसरण किए जाने की सहमति हुई है।

(iv) हम आतंरिक नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कंपनी में एक कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की है। हमने आंतरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के संबंध में लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है, और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी के बार में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/-	**ह/-**
श्री नगनगौडा हनुमंथगौडा पाटिल	**श्री महादेब मंडल**
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)	**मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)**

दिनांक : 14.07.2022

स्थान : नई दिल्ली

अनुबंध-3

फार्म सं. एओसी-2

(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म

(वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु)

****

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं है: शून्य
2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण: इस प्रकार है

क्र.सं.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
1	**ईपीसी करार** (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे हवेरी को छह लेन का बनाने के परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त करने हेतु।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 04.01.2018 अवधि : समापन अवधि, नियुक्ति तिथि या कंपनी द्वारा इरकॉन को भूमि सौंपने की नियत तारीख से 30 महीने, जो भी बाद में हो। इसके अलावा, इरकॉनडीएचएचएल के दिनांक 10.08.2021 के पत्र द्वारा दिनांक	राशि : 916.93 करोड रूपए जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी।	10 अगस्त 2021, 20 फरवरी 2018 और 9 नवंबर 2017	शून्य (आज की तिथि को)

		26.08.2021 तक बढ़ाया गया।			
1.	**पट्टा करार** (इरकॉन के कार्यालय परिसरों को पट्टे पर लेने हेतु)	अनुमानित अवधि: 1 वर्ष, 7 महीने और 15 दिन (15.05.2021 से 31.03.2023 तक)	पट्टा करार का निष्पान दिनांक 9 अगस्त 2018 को किया गया और इसे 15.05.2021 से 31.03.2023 तक 21236/- रूपए प्रति माह जमा जीएसटी पर नवीनीकृत किया गया है।	15 जून, 2021	शून्य (आज की तिथि को)

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

ह/-
अशोक कुमार गोयल
अध्यक्ष
डीआईएन: 05308809

दिनांक: 04.08.2022
स्थान : नई दिल्ली

<u>अनुबंध-4</u>

जयेश परमार एंड एसोसिएट्स
पेशवर कंपनी सचिव
91+9899339796
ई-मेल - csjayeshparmar@gmail.com

<u>निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध</u>

फार्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु)
(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,
मेसर्स **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड**,
पंजीकृत कार्यालय : सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (सीआईएन : U45500DL2017GOI317401)** (जिसे यहां आगे "'कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने **31 मार्च 2022** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं

और उस स्तर तक तथा उस रुप में अनुपालन तंत्र विद्‌यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्‌देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च 2022** को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्‌वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्‌वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्‌वारा जारी सचिवीय मानक **एसएस-1** और **एसएस-2** की अनुप्रयोज्यता।

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक जारी किए गए हैं; जहां कही लागू हो।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम उल्लेख करते हें कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यपालक निदेशकों और गैर कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठकों को आयोजित करने, कार्यवृत्त और कार्यसूची के परिपत्रण के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी को सुनिश्चि करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड की बैठकों में निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जैसा कि प्रबंधन द्‌वारा प्रस्तुत किया गया था,

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्‌वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्‌वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे सूचित करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार उपयुक्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

कृते जयेश परमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
जयेश परमार
(प्रोप्राइटर)
एसीएस सं.: 27055
सीपी सं.: 15007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10 मई 2022
यूडीआईएन: A027055D000296390

इस रिपोर्ट को हमारे सम-तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाए जो 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध-क

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड**

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाएः

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रकियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रकियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों, लागत रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते जयेश परमार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-
जयेश परमार
कंपनी सचिव
(प्रोप्राइटर)
एसीएस सं.: 27055
सीपी सं.: 15007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10 मई 2022
यूडीआईएन: A027055D000296390

<u>स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट</u>

सदस्य,
इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,
साकेत, नई दिल्ली (भारत) - 110017

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड ("कंपनी")** के लिए संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 को तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और उक्त समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट और अन्य विवरणात्मक सूचना (जिसे यहां आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) की लेखापरीक्षा की है।

यह रिपोर्ट, जिसे 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अवलोकनों के परिणामस्वरूप संधोधित किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत दिनांक 17 मई 2022 की हमारी पूर्ववर्ती रिपोर्ट का अधिक्रमण करती है।

मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा यथापेक्षित सूचना, अपेक्षित रूप में प्रस्तुत की गई है और 31 मार्च 2022 को कंपनी की कार्यप्रणाली की, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के सही और उचित रूप प्रस्तुत किया गया है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्ववों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लिखित है। हम कंपनी

अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं और हम हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत हेतु आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समाधान समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय के निर्धारण में किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचनाएं हैं किन्तु इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत, अन्य सूचनाओं को शामिल नहीं करता है और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष अभिव्क्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है। यदि हमारे कार्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारितों का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, कंपनी भारतीय लेखांकन मानक नियमावली, 2015, समय समय पर यथासंशोधित के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्वांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभ और हानि (अन्य वृहत

आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह और इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्रीगत तथ्यात्मक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्‌यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्‌वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के पेशेवर व्यवहार को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित व्यवस्थाओं का भी अनुसरण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।
- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपर्युक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को आशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।
- भौतिकता स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में दुर्विवरण की गंभीरता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों का यथोचित विवेकपूर्ण उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र की योजना

बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी चिह्नित दुर्विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु।

- हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।
- हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।
- शासन द्वारा प्रभारित मुद्दों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण **अनुग्नक-क** के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित नियमों द्वारा यथापेक्षित कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है, जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण (अन्य वृहत आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "**अनुबंध-ख**" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं हैं;

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 यथासंशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो।

(ii) कंपनी द्वारा किए गए आकलन के आधार पर, दीर्घकालीन संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण आगामी घाटे प्रतीत नहीं होते हैं, जिनके लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। कंपनी के पास कोई डेरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई घावी घाटे प्रतीत होते हैं।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

(iv)

(क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ,

चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(v) कंपनी ने इस अवधि के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, किसी अंतिम या अंतरिम लाभांश का प्रस्ताव, घोषणा या भुगतान नहीं किया है, इसलिए, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(3) इस अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत यथापेक्षित और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हमार उल्लेख करते हैं कि:

क्र.सं.	**निदेश**	**लेखापरीक्षक के उत्तर**
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है**?** यदि हाँ**,** तो वित्तीय निहितार्थ**,** यदि कोई हो**,** के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	कंपनी सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सेप प्रणाली का उपयोग कर रही है। हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आईटी प्रणाली से बाहर, कोई भी लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है।

2.	क्या ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी के लेनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/कर्ज/ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता की कीई पुनर्संरचना की गई है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को प्रकट करें। क्या ऐसे मामलों का सही से लेखांकन किया जाता है (यदि देनदार सरकारी कंपनी है तो यह निदेश देनदार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक पर भी लागू होगा)।	जी नहीं, कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी के लेनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/कर्ज/ब्याज आदि में छूट/बट्टा खाता की कोई पुनर्संरचना का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को इसकी अवधि और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे अभिलेखों की जांच के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी भी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य नहीं हुई है।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. 008030एन

सीए सुनिल सिंघल

साझेदार

सदस्यता संख्या 086904

यूडीआईएन : 22086904ANGJPD7922

दिनांक : 19 जुलाई 2022

स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-क

(इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के सदस्यों की समसंख्यक रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" खंड के अंतर्गत पैरा 1 का संदर्भ लें)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा लेखाबहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. **<u>कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में</u> -**

क. कंपनी अचल संपत्तियों के पूर्ण विवरण, मात्रात्मक विवरण और स्थितियों को दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड का अनुरक्षण कर रही है।

ख. कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है; इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर चरणबद्ध तरीके से अचल संपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है, और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं है। इसके अलावा, सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है।

घ. लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

ड. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2. **दरसूची के संबंध में -**

कंपनी के पास मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये (वर्ष के दौरान किसी भी समय) की सीमा से अधिक की

कोई इन्वेंट्री और कोई कार्यशील पूंजी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(11) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

3. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अपेक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनियां, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम, रक्षित या सुरक्षित, प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, ऐसे कोई ऋण, निवेश, गारंटियां, तथा प्रतिभूतियां प्रदान नहीं किए गए हैं जिनके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। इसलिए आदेश का खंड 3 (iv) लागू नहीं है।

5. हमारे मतानुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डों के आधार पर, कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि नहीं ली है और इसलिए जनसाधारण से जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संगत प्रावधान तथा कंपनी (जमाराशि स्वीकार करना) नियम, 2015 लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम के खंड 148 के उपखंड (1) के अंतर्गत यथापेक्षित लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है। बहरहाल, हमें ना तो ऐसे लेखों और रिकाडों की कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और ना ही हमने ऐसी कोई विस्तृत जांच की है।

7. <u>सांविधिक देयों के संबंध में</u> -

क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर के संबंध में अविवादित देय तथा कोई अन्य संवैधनिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियाँ के संबंध में काटी गई/संचित राशियों को नियमित रूप से सक्षम प्राधिकारियों के पास जमा कराती हैं।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय कोई भी राशि दिनांक 31 मार्च 2022 को देय होने की छेह महीने से अधिक की अवधि के लिए देय नहीं है।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धन कर और उपकर तथा कोई अन्य सांविधिक कर सहित लागू निर्विवाद सांविधिक देय राशियां और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय कोई भी राशि को किसी विवाद के कारण दिनांक 31 मार्च, 2022 को जमा नहीं कराया गया है।

8. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखा बहियों में ऐसा कोई लेनदेन रिकार्ड नहीं किया है, जिसे आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत आयकर आकलनों में वर्ष के दौरान आयकर के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो।

9. **<u>कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और उधार के संबंध में</u> :**

क. लेखों की समीक्षा के आधार पर और प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है;

ख. कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए थे, जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे;

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर एकत्र की गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है;

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है;

च. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं।

10. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक या वैकल्पिक रूप से) का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

11 क. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी केंद्र सरकार के पास अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम-13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

12. कंपनी, निधि नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट अनुसार, निधि कंपनी नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

13. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, सभी संबंधित पक्ष लेनदेन कंपनी अधिनियम के अनुच्छेद 177 तथा 188 के अनुरूप हैं, जहां कही लागू हो और इस प्रकार के लेनदेनों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित है।

14. क. हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

ख. हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए, इस अवधि के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

15. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद-192 के प्रावधानों के भीतर स्वयं से संबंधित निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं है।

16. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख. हमारी राय में, समूह के भीतर कोई प्रमुख निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मुख्य निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

17. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी को वित्तीय वर्ष और इससे तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

18. वर्ष के दौरान संवैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है और तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvili) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;

19. वित्तीय परिसंपत्तियों के वित्तीय अनुपात, उनकी आयु, उनकी वसूली की संभावित तिथि तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, अन्य संलग्न वित्तीय विवरणों और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के संबंध में हमारे ज्ञान के आधार पर और अनुमानों के पक्ष में साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास करना पड़े कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख को अपनी मौजूदा देयताओं को तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा करने में सक्षम नहीं है, को दर्शाते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते

हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निष्पादित कर दिया है।

20. क. इस अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, इस अवधि के लिए आदेश के खंड 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

    ख. इस अवधि के लिए चालू परियोजनाओं पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

21. कंपनी ने सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में निवेश नहीं है और इसलिए, कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन सं. 008030एन

सीए सुनिल सिंघल

साझेदार

सदस्यता संख्या 086904

यूडीआईएन : 22086904ANGJPD7922

दिनांक : 19 जुलाई, 2022

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के खंड-2 के उप खंड (i) के अंतर्गत आंतरित वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2022 को **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं :(1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं; (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं; (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टकार के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और वित्तीय रिपोर्टिं पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली दिनांक 31 मार्च 2022 को कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 008030एन
सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 086904
यूडीआईएन : 22086904ANGJPD7922

दिनांक : 19 जुलाई, 2022
स्थान : नई दिल्ली

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड

सीआईएन - U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2022 को तुलन पत्र

(रूपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को	
I.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	0.38		0.17	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4	45,996.52		38,568.27	
	(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	5			6.88	
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां			45,996.90		38,575.32
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	6				
	(i) व्यापार प्राप्तियां	6.1	3,446.88		4,182.91	
	(ii) नकद और नकद समकक्ष	6.2	509.87		1,541.07	
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	6.3	2,646.00		2,646.00	
	(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियां	6.4	4,174.71		7,837.76	
	(ख) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	7	199.18		518.27	
	(ग) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	8	4,963.52		4,743.66	
	कुल चालू परिसंपत्तियां			15,940.16		21,469.67
	कुल परिसंपत्तियां		**61,937.06**		**60,044.99**	
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	**इक्विटी**					
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	17,300.00		16,405.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	10	2,392.23		419.56	
	कुल इक्विटी			19,692.23		16,824.56
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	11				
	(i) उधार	11.1	36,404.65		33,855.15	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	11.2	12.19		-	
	(ख) अन्य गैर चालू देयताएं		-		-	
	कुल गैर चालू देयताएं			36,416.84		33,855.15
(ii)	**चालू देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	12				
	(i)ऋण	12.1	1,884.00		1,884.00	
	(i) व्यापार प्राप्य	12.2				
	- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम		-		-	
	- अन्य		3,612.41		5,656.61	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	13	103.86		1,676.30	
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	14	70.36		148.37	
	(ग) प्रावधानों	14(क)	157.36			
	(घ) वर्तमान कर देयता (शुद्ध)					
	कुल चालू देयताए			5,827.99		9,365.28
	कुल इक्विटी और देयताएं		**61,937.06**		**60,044.99**	
III.	महत्वपूर्ण वित्तीय नीतियों का सार	1 - 2				
IV.	वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट	3 - 39				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
मुगुंथन बोजू गोडा
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
मसूद अहमद
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-
सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सं.सं: 086904

ह/-
नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
महादेब मंडल
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
प्रदीप बैसोया
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन: 22086904JLTTL4920

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**आय :**			
	संचालन से राजस्व	15	797.76	19,306.31
II.	अन्य आय	16	3,773.32	89.42
III.	**कुल आय (I + II)**		4,571.08	19,395.73
IV.	**व्यय :**			
	परियोजना व्यय	17	903.48	16,556.69
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	63.13	44.46
	वित्तीय खर्च	19	2,708.78	2,706.09
	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	20	0.24	0.13
	अन्य खर्चे	17	58.55	1.49
	कुल व्यय (IV).		3,734.18	19,308.86
V.	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III - IV)**		836.90	86.87
VI.	असाधारण वस्तुएं			
VII.	कर पूर्व लाभ (V + VI)		836.90	86.87
VIII.	कर व्यय:	5		
	(1) वर्तमान कर			
	- अवधि के लिए		243.35	15.26
	- पिछले वर्षों के लिए (शुद्ध)		-	-0.01
	(2) आस्थगित कर (शुद्ध)		6.88	6.88
	कुल कर व्यय		250.23	22.13
IX	**निरंतर संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII -VIII)**		**586.67**	**64.74**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) मद, जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए		-	-
	ख (i) मद, जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए		-	-
			-	-
XI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX + X) (लाभ और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का शुद्ध)**		**586.67**	**64.74**
XII	आय प्रति इक्विटी शेयर:			
	(जारी संचालन के लिए)			
	(1) मूल	21	0.35	0.04
	(2) विलयित		0.35	0.04
	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण वित्तीय नीतियों का सार	1 - 2		
XIV	वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट	3 - 39		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन- 008030एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
मुगुंथन बोजू गोडा
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
मसूद अहमद
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-
सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सं.सं: 086904

ह/-
नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
महादेब मंडल
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
प्रदीप बैसोया
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन: 22086904JLTTL4920

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रूपए लाख में)

विवरण		31 मार्च 2022 को	31 मार्च 202को
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कराधान से पहले शुद्ध लाभ		836.90	86.87
के लिए समायोजन:			
ब्याज आय		(3,770.18)	(97.22)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		0.24	0.13
ब्याज व्यय और अन्य वित्त लागत		2,708.79	2,765.74
चालू / गैर-चालू संपत्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ	**(1)**	**(224.25)**	**2,755.52**
निम्न के लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्तियों में कमी / (वृद्धि)		736.03	(3,390.89)
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(7,428.26)	(13,093.96)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		5,432.59	8,977.39
अन्य मौजूदा संपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(219.86)	1,393.44
चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि)		-	-
व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)		(2,044.20)	3,121.74
अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(1,348.98)	1,389.94
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		12.19	
अन्य मौजूदा देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		79.35	(3,255.10)
कुल कार्यशील पूंजी परिवर्तन	**(2)**	**(4,781.14)**	**(4,857.44)**
प्रचालनों से प्राप्त नकदी	**(1+2)**	**(5,005.39)**	**(2,101.92)**
आयकर भुगतान (धनवापसी का शुद्ध)		75.74	144.98
प्रचालनिक गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(क)**	**(4,929.65)**	**(1,956.94)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(0.45)	
अमूर्त संपत्ति की खरीद			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद / आगम		-	-
प्राप्त ब्याज		2,000.64	97.69
लाभांश प्राप्त हुआ		-	-
जमा में निवेश		-	(2,646.00)
(निवेश) / बैंक जमा की परिपक्वता (3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली)		-	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(ख)**	**2,000.19**	**(2,548.31)**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इरकॉन से ऋण		-	(26,922.00)
इरकॉन से ऋण (अरक्षित)		1,230.00	2,646.00
पीएनबी से ऋण		1,319.49	33,093.15
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर		895.00	-
इरकॉन से अर्ध इक्विटी		1,386.00	-
शेयरों की पुनर्खरीद के लिए डीआईपीएएम को भुगतान		-	-
हानि व्यय और अन्य वित्त लागत		(2,932.23)	(2,990.00)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद	**(ग)**	**1,898.26**	**5,827.15**
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अंतरण पर विनिमय अंतर का प्रभाव	**(घ)**	-	-
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)।	**(क+ख+ग+घ)**	**(1,031.20)**	**1,321.90**
रोकड़ प्रवाह के घटक			
नकद और नकद समतुल्य (आरंभिक)*	**(ङ.)**	**1,541.07**	**219.17**
नकद शेष		-	-
बैंकों के पास शेष			
चालू खातों में		1,398.07	1.67
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि		143.00	217.50
नकद और नकद समतुल्य (समापन) *	**(च)**	**509.87**	**1,541.07**
नकद शेष			-
बैंकों के पास शेष			
चालू खातों पर		509.87	1,398.07
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली फ्लेक्सी जमा राशि		-	143.00
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	**(च - ङ.)**	**(1,031.20)**	**1,321.90**

* निर्धारित निधियां

31 मार्च 2022 तक वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों का समायोजन

(रूपए लाख में)

विवरण	इरकॉन से ऋण	पीएनबी से ऋण	इरकॉन ऋण पर ब्याज	पीएनबी ऋण और एनएचएआई अग्रिम पर ब्याज
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	2,646.00	33,093.15	-	223.45
नकदी प्रवाह:				
पुनर्भुगतान	-	(1,884.20)	(208.93)	(2,723.30)
प्राप्ति	1,230.00	3,203.69	208.93	2,499.85
31 मार्च 2022 को शेष	3,876.00	34,412.64	-	-

31 मार्च 2021 तक वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों का समायोजन

विवरण	इरकॉन से ऋण	पीएनबी से ऋण	इरकॉन ऋण पर ब्याज	पीएनबी ऋण और एनएचएआई अग्रिम पर ब्याज
1 अप्रैल, 2020 तक शेष	26,922.00	-	-	447.71
नकदी प्रवाह:				
पुनर्भुगतान	-26,922.00	-	(1,869.68)	(1,120.32)
प्राप्ति	2,646.00	33,093.15	1,869.68	896.05
31 मार्च 2021 को शेष	2,646.00	33,093.15	-	223.44

नोट: 1. नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है, जिससे गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए कर से पहले लाभ / (हानि) को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया गया है।

2. दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, कंपनी ने इंड-एएस 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं और प्रकटीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर-नकदी परिवर्तन, वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन पत्र में उद्घाटन और समापन शेष के बीच एक सामंजस्य शामिल करने का सुझाव देते हुए। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

	ह/-		ह/-
	मुगुंथन बोजू गोडा		मसूद अहमद
	निदेशक		निदेशक
	डीआईएन: 08517013		डीआईएन: 09008553
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए सुनिल सिंघल	नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल	महादेब मंडल	प्रदीप बैसोया
साझेदार	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव
सं.सं: 086904			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन: 22086904JLTTL4920

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को इक्विटी परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (रूपए लाख में)

विवरण	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	पूर्व अवधि त्रुटियों के कारण परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान जानी	वर्ष के दौरान शेयर बाय बैक	रिपोर्टिंग अवधि के अंतर में शेष
31 मार्च, 2021 तक शेष	16,405.00	-	16,405.00	-	-	16,405.00
31 मार्च, 2022 तक शेष	16,405.00	-	16,405.00	895.00		17,300.00

ख. अन्य इक्विटी (रूपए लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक				कुल
	सामान्य आरक्षित निधियां	प्रतिधारण आय	पूंजी प्रतिधारित आरक्षित निधि	अर्ध इक्विटी	
1 अप्रैल, 2020 तक शेष	-	**354.82**	-		**354.82**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन					-
1 अप्रैल 2020 को पुनर्निर्धारित शेष	-	**354.82**	-		**354.82**
इस वर्ष का लाभ		64.74			64.74
अन्य व्यापक आय	-	**419.56**	-		419.56
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप		-			-
विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर		-			-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	**419.56**	-		**419.56**
इक्विटी शेयरों का बाय बैक		-			-
घटा : प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान		-			-
घटा : शेयरों के बायबैक के लिए भुगतान		-			-
घटा: भुगतान किए गए लाभांश		-			-
घटा : लाभांश वितरण कर		-			-
घटा : बोनस इश्यु					-
31 मार्च, 2021 तक शेष	-	**419.56**	-		**419.56**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन		-			-
1 अप्रैल 2021 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	**419.56**	-		**419.56**
इस वर्ष का लाभ		**586.67**			**586.67**
अन्य व्यापक आय	-	**1,006.23**	-		**1,006.23**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप					-
विदेशी मुद्रा अंतरण अंतर					-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	**1,006.23**	-		**1,006.23**
वर्ष के दौरान प्राप्त किया				**1,386.00**	**1,386.00**
इक्विटी शेयरों का बाय बैक					-
घटा : प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान					-
कम: शेयरों के बायबैक के लिए भुगतान					-
घटा : भुगतान किए गए लाभांश					-
घटा : लाभांश वितरण कर					-
घटा : बोनस इश्यु					-
31 मार्च 2022 तक शेष	-	**1,006.23**	-	**1,386.00**	**2,392.23**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल- 008030एन
ह/-
सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सं.सं: 086904
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन: 22086904JLTTL4920

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/-
मुगुंथन बोजू गोडा
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
मसूद अहमद
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-
नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
महादेब मंडल
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
प्रदीप बैसोया
कंपनी सचिव

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

1. निगमित सूचना

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह कंपनी भारत में स्थित है । इरकॉन डीएचएचएल का निगमन भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई जब दिनांक 19 जून 2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत डीबीएफओटी पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक देवांगेरे - हवेरी को छह लेन के निर्माण का काम सौंपा गया था। अनुरोध प्रस्ताव" के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड' ने दिनाक 11 मई, 2017 को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के नाम से एक विशेष कार्य योजना (एसपीवी) का गठन किया है। तदनुसार, इरकॉन डीएचएचएल ने दिनांक 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उक्त करार की शर्तों के अनुसार आईडीएचएचएल का दायित्व है कि वह देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेन की परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करे और उन सभी परिसंपत्तियों, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है, सहित परियोजना की सभी परिसंपत्तियों को उचित कार्यशील अवस्था में बनाए रखे। कुल परियोजना लागत (अर्थात बोली परियोजना लागत)1177 करोड़ रुपये है। मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित बोली परियोजना लागत का 40%, निर्माण अवधि के दौरान प्रत्येक 8% की 5 समान किश्तों में छूटग्राही (आईडीएचएचएल) को देय, भुगतानयोग्य होगा। मूल्य सूचकांक गुणक के लिए समायोजित शेष बोली परियोजना लागत, अनुबंध के खंड 23.6 के प्रावधानों के अनुसार सीओडी के 180वें दिन से शुरू होने वाली 30 द्विवार्षिक किश्तों में देय और भुगतानयोग्य होगी, जो संचालन अवधि के दौरान वार्षिकी भुगतान है। यह परियोजना वार्षिकी आधार पर है और वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से 15 वर्षों की अवधि तक

आईडीएचएचएल के प्रचालनाधीन रहेगी। इसके लिए भुगतान वार्षिकी आधार पर किया जाएगा जो इस करार के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर देय होगा।

एनएचएआई ने दिनांक 19.07.2021 के अपने पत्र के माध्यम से 6.880 किलोमीटर के मुख्य कैरिज-वे, 49.848 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड और परियोजना सुविधाओं (14 बस-बे और बस शेल्टर, 2 ट्रक ले-बाय और 1 रेस्ट एरिया) पर काम को डी-स्कोप कर दिया है। तदनुसार बोली परियोजना लागत को 1177 करोड़ से घटाकर 909.21 करोड़ रुपये कर दिया गया है और कंपनी को 28 मई, 2021 से अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकडों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोडकर।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को दिनांक 17.05.2022 को आयोजित उनकी 45वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

- किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :
- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,

- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

<u>स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन</u>

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	**उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)**
भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15

सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

<u>स्वीकृति समाप्ति</u>

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है, जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय/ निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है, जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त

परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा

परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित

की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यूनतम लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ड.) अवधि के दौरान लिए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.8 राजस्व स्वीकृति

सेवा रियायत व्यवस्था

क) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय संपत्तियां (इंड एएस 115 - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का परिशिष्ट-ग)

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है, जिस स्तर तक उसके पास निर्माण सेवाओं और संचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") से या उसके निर्देश पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

ऐसी वित्तीय संपत्तियों को आरंभिक स्तर पर उचित मूल्य पर अर्थात वर्तमान मूल्य पर और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय संपत्ति को बढ़ाया जाएगा और अनुदानकर्ता से धन प्राप्त होने पर कम किया जाएगा।

इंड एएस 115- (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)

कंपनी इंड एएस -115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार निर्माण और संचालन और रखरखाव सेवाओं से राजस्व को पहचानती और मापती है।

कंपनी एक ही ग्राहक के साथ एक ही समय में या उसके आस-पास दर्ज किए गए दो या अधिक अनुबंधों में प्रवेश करती है और यदि अनुबंधों को एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य या अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के साथ पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है तो अनुबंध की कीमत अन्य संविदा या वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर संविदा में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में होगा।

संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधित रूप से सहमत है। राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा जाता है, जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष अर्थात जीएसटी की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं होती है और इसे परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी के अनुबंध की प्रकृति कई प्रकार के परिवर्तनशील प्रतिफलों को उत्पन्न करती है है जिसमें वृद्धि और परिसमापन क्षति शामिल है।

संव्यवहार मूल्य में किसी भी भावी परिवर्तन को अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है जैसे अनुबंध की आरंभ में किया गया है।

कंपनी परिवर्तनीय प्रतिफल के लिए राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभव है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी सबसे संभावित राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है।

इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में, या राजस्व में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में संव्यवहार मूल्य में परिवर्तित किया जाता है।

कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और राजस्व ओवरटाइम को पहचानती है, यदि निम्न में से कोई भी मानदंड पूरा होता है:

क) इकाई द्वारा निष्पादन किए जाने पर कंपनी ग्राहक के साथ निष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका प्रयोग करता है।

ख) इकाई का निष्पादन का संपत्ति निर्माण या संवर्धन करती है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति पर है), जिसे ग्राहक निर्मित या नियंत्रित करता है।

ग) इकाई का निष्पादन, इकाई के वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और इकाई के पास आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन के लिए भुगतान का एक लागू करने योग्य अधिकार होताहै।

समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए, निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रगति को मापकर राजस्व की पहचान की जाती है। प्रगति को निष्पादन दायित्व के कारण, कुल अनुमानित लागत के लिए, अब तक की गई वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। हालांकि, जहां कंपनी कार्यनिष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करने में खर्च की गई लागतों की वसूली की आशा करती है, कंपनी केवल उस समय तक खर्च की गई लागत की सीमा तक राजस्व की पहचान करती है। यह यथोचित रूप से कार्यनिष्पादन के परिणाम को माप सकता है। एक संचयी आधारित समायोजन को उस अवधि में मान्यता दी जाएगी, जिसमें इकाई

अपनी प्रगति को उचित रूप से मापने में सक्षम है।

निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को ईमानदारी से दर्शाती है।

अनुबंध संशोधनों का लेखांकन उस समय किया जाता है, जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन स्वीकृत होते हैं।

अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाओं, जो अलग नहीं हैं को संचयी आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो अलग हैं उन्हें संभावित रूप से, एक पृथक अनुबंध के रूप में लेखांकित किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में है, बिक्री मूल्य पर कीमत पर नहीं है।

संविदागत शेष

अनुबंध की संपत्ति: अनुबंध संपत्ति एक अधिकार है जो ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय पर विचार करने का अधिकार देता है। यदि कंपनी ग्राहक को भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले, किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन करती है, तो अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्य: व्यापार प्राप्य, उस राशि पर विचार करने का कंपनी का अधिकार है जो बिना शर्त है (अर्थात, निर्धारित भुगतान से पूर्व बहुत कम समय की आवश्यकता हाती है)। खंड (**XX**) में वित्तीय परिसंपत्त्यिों की लेखा नीतियों : वित्तीय लिखत - प्रारंभिक मान्यता और तत्पश्चात मापन, का संदर्भ लें ।

अनुबंध दायित्व: अनुबंध दायित्व, ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित

करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर, या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

अन्य आय

- लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।
- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।
- विविध आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट होते हैं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.9 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.10 कर

(क) चालू आयकर

चालू आयकर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के

रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्‌देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो

अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो।

2.2.11 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए

संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

2.2.12 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ एवं अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्मचारी धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

2.2.13 रोकड प्रवाह विवरण

रोकड़ और रोकड समतुल्य में उपलब्ध रोकड, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकाली सावधि जमा राशियां जो ज्ञात रोकड राशि के लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

2.2.14 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

2.2.15 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तक्रसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बह्रिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर

के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.16 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

सावधिक पट्टे पर अधिग्रहित पट्टाधारी भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में

परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। प्रचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

  ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर

परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

<u>वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता</u>

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस–109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस–116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस–115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया हैः

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम

में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया हैः—

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

  कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया

जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

<u>वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति</u>

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो।

व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी–कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.18 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैः–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण

किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.19 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस–105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.20 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.21 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित

मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

(ख) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधी जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(ग) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(घ) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(ड.) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान

लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(च) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

(छ) राजस्व स्वीकृति

कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी प्रगति का यथोचित आकलन करने के पश्चात समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की पहचान करती है।

राजस्व की स्वीकृति के लिए संतोष के स्तर तक निष्पादन दायित्वों के संबंध में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, दावों (मुआवजे, छूट आदि) और अन्य भुगतानों का आकलन करना अपेक्षित है और ये संभावित हैं तथा उचित रूप से मापन हेतु सक्षम हैं। दावों के लिए अनुमान लगाने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपलब्ध संविदात्मक और ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग किया।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

3 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(रूपए लाख में)

विवरण	कंप्यूटर	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)		
1 अप्रैल 2020 को	**0.42**	**0.42**
परिवर्धन	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-
31 मार्च 2021 को	**0.42**	**0.42**
परिवर्धन	0.45	0.45
निपटान/समायोजन	-	-
विनिमय लाभ/हानि	-	-
31 मार्च 2022 को	**0.87**	**0.87**
मूल्यह्रास और हानि		
1 अप्रैल 2020 को	**0.12**	**0.12**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	0.13	0.13
हानि		-
निपटान/समायोजन		-
विनिमय लाभ/हानि		
31 मार्च 2021 को	**0.25**	**0.25**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	0.24	0.24
हानि		
निपटान/समायोजन		
विनिमय लाभ/हानि		
31 मार्च 2022	**0.49**	**0.49**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2022	0.38	0.38
31 मार्च 2021 को	**0.17**	**0.17**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड

सीआईएन - U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
संविदागत परिसंपत्ति वसूली योग्य		
वित्तीय परिसंपत्ति - निर्माण संविदा	45,962.46	38,542.80
अन्य		
प्रतिभूति जमा राशि	34.06	25.47
कुल - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**45,996.52**	**38,568.27**

फुट नोट:-

1. वित्तीय संपत्ति - यह राजमार्ग निर्माण अनुबंध हाईब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत आईडीएचएचएल द्वारा बनाया जा रहा है (नोट 23 देखें)

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

5 **आस्थगित कर संपत्ति और आयकर**

इंड एएस 12 "आय कर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	**लाभ और हानि अनुभाग**		
	वर्तमान आय कर :		
	वर्तमान आयकर शुल्क	243.35	15.26
	पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन	-	(0.01)
	आस्थगित कर :		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण के संबंध में	6.88	6.88
	लाभ और हानि खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**250.23**	**22.13**
2	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्माप पर शुद्ध हानि/(लाभ)।	-	-
	विदेशी परिचालन अंतरण पर शुद्ध हानि/(लाभ)।	-	-
	ओसीआई खंड में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखा लाभ के गुणा का समाधान:

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	836.90	86.87
2	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कॉर्पोरेट कर की दर	25.168%	25.168%
3	लेखा लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	210.63	21.86
4	कर समायोजन का प्रभाव:		
(i)	पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	-	-0.01
(ii)	पहले अस्वीकृत कर घाटे का उपयोग	-	-
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	-	-
(iv)	कर मुक्त आय पर कर	-	-
(v)	कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय:	-	-
	अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों का कर प्रभाव	39.60	0.28
5	**लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय**	**250.23**	**22.13**
6	प्रभावी कर की दर	29.90%	25.47%

(ग) आस्थगित कर (संपत्ति) और तुलन पत्र और लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त देनदारियों के घटक

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	-	-	-	0.01
2	प्रावधानों				
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ख के तहत अस्वीकृत मदें				
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है				
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन				
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी सिक्योरिटीज और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि				
7	अन्य	-	6.88	(6.88)	(6.89)
	शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति/(देयताएं)	**-**	**6.88**	**(6.88)**	**(6.88)**

(घ) निम्नानुसार तुलनपत्र में प्रदर्शित :

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	6.88
2	विलम्बित टैक्स देयता	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं) (निवल)	**-**	**6.88**

नोट: आस्थगित कर संपत्ति और आस्थगित कर देनदारियों को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे एक ही शासी कानूनों से संबंधित हैं।

(घ) आस्थगित कर (देयताओं)/परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2022 को **(रूपए लाख में)**

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2021 को शेष (निवल)	लाभ हानि विवरण में स्वीकृति	ओसीआई में स्वीकृति	1 अप्रैल 2022 को शेष (निवल)
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	-	0.00	-	-
2	प्रावधानों	-		-	-
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ख के तहत अस्वीकृत मदें	-		-	-
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है	-		-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-		-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी सिक्योरिटीज और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-		-	-
7	अन्य - निगमन पूर्व व्यय	6.88	-6.88	-	-
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**6.88**	**(6.88)**	-	-

31 मार्च 2021 को **(रूपए लाख में)**

क्र.सं	विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष (निवल)	लाभ हानि विवरण में स्वीकृति	ओसीआई में स्वीकृति	1 अप्रैल 2021 को शेष (निवल)
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(0.01)	0.01	-	-
2	प्रावधानों	-	-	-	-
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 ख के तहत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण के लिए लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है	-	-	-	-
5	वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी सिक्योरिटीज और एफवीटीपीएल म्यूचुअल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	अन्य - निगमन पूर्व व्यय	13.77	-6.89	-	**6.88**
	आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**13.76**	**(6.88)**	-	**6.88**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

वित्तीय परिसंपत्तियां

6.1 व्यापार प्राप्य

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
व्यापार प्राप्तियां		
रक्षित वसूली योग्य		
अरक्षित वसूली योग्य	3,446.88	4,182.91
व्यापार प्राप्तियां जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई		
व्यापार प्राप्य- ऋण हानि		
क्षति प्रावधान (असाध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता)		
अरक्षित वसूली योग्य		
व्यापार प्राप्तियां जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई		
व्यापार प्राप्य-ऋण हानि		
कुल	**3,446.88**	**4,182.91**

व्यापार प्राप्य अवधि अनुसूची (31 मार्च 2022 तक)

(रूपए लाख में)

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूली योग्य			1003.04	0	1736.59	707.25	-	3,446.88
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								
(iii) अर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य								
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य राशियाँ - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								

31 मार्च 2021 को

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूली योग्य			3,475.66	-	707.25			4,182.91
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई								
(iii) अर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य								
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य राशियाँ - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है								
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि								

नकद एवं नकद समतुल्य

6.2

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपलब्ध नकद	-	-
बैंकों के पास शेष राशि:		
निर्धारित निधि		
चालू खातों पर	509.87	1,398.07
फ्लेक्सी खाते	-	-
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले	-	143.00
कुल	**509.87**	**1,541.07**

6.3 बैंक शेष से इतर नकद एवं नकद समतुल्य

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अन्य बैंक शेष		
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशि	2,646.00	2,646.00
कुल	**2,646.00**	**2,646.00**

6.4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) वसूली योग्य		
प्रतिभूति जमा राशि		
अन्य	0.63	0.63
संचित ब्याज	-	0.19
अन्य वसूची योग्य	0.38	0.42
संविदागत परिसंपत्तियां:		
वित्तीय परिसंपत्तियां - निर्माण संविदा	2,403.97	7,836.52
वित्तीय परिसंपत्तियों पर वसूलीयोग्य ब्याज	1,769.73	
कुल अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य	**4,174.71**	**7,837.76**
सकल योग - अन्य वित्तीय अन्य	**4,174.71**	**7,837.76**

फुट नोट :

वित्तीय संपत्ति - निर्माण अनुबंध हाईब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत आईडीएचएचएल द्वारा बनाया जा रहा राजमार्ग है (नोट 23 देखें)।

इरकॉन देवागेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

7 चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के लिए शुद्ध प्रावधान)	199.18	518.27
चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	**199.18**	**518.27**

8 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
अरक्षित : वसूली योग्य		
क) पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के एवज में ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य - संबंधित पक्ष को अग्रिम	-	-
वसूलीयोग्य अग्रिम		
बिक्री कर (टीडीएस सहित)		
घटा: प्रोटेस्ट के तहत जमा		
मूल्य संवर्धित कर		
माल और सेवाकर	4,926.10	4,721.28
सेवाकर इनपुट ऋण		
आयकर प्रतिपूर्ति पर कर	-	20.46
कुल - पूंजीगत अग्रिमों से इतर अग्रिम	**4,926.10**	**4,741.74**
ख) अन्य		
पूर्व प्रदत्त व्यय	37.42	1.92
कुल - अन्य	**37.42**	**1.92**
ग) संचित ब्याज किन्तु अदेय		
इरकॉन को मोबिलाइजेशन अग्रिम पर	-	-
घ) संदिग्ध समझे गए		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	-	-
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	-	-
अन्य	-	-
मूल्य वर्धित कर	-	-
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए क्षतिभत्ता भत्ता	-	-
कुल - सचित ब्याज किन्तु अदेय	**-**	**-**
सकल योग	**4,963.52**	**4,743.66**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
सीआईएन - U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

9 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रति 10 रूपए के 21,70,50,000 इक्विटी शेयर	21,705.00	21,705.00
	21,705.00	21,705.00
जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी शेयर		
प्रति 10 रूपए के 17,30,00,000 पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	17,300.00	16,405.00
कुल	17,300.00	16,405.00

प्रमोटर की शेयरधारिता
31 मार्च 2022 को

विवरण	अवधि/वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयरों की संख्या			अवधि/वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
क्र.सं	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिषत	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) - इरकॉन	1730,00,000	100.00%	5.46%

31 मार्च 2021 को

विवरण	अवधि/वर्ष के अंत में प्रमोटर द्वारा धारित शेयरों की संख्या			अवधि/वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
क्र.सं	प्रमोटर का नाम *	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिषत	
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) - इरकॉन	1640,50,000	**100.00%**	0.00%

कंपनी के शेयरधारकों की धारिता का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	श्रेणी में शेयरधारिता का %
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) - इरकॉन	1730,00,000	**100**	1640,50,000	**100**
कुल	**1730,00,000**	**100**	**1640,50,000**	**100**

बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या, नकद के अलावा विचारहेेतु जारी किए गए शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पहले पांच साल की अवधि के दौरानबाय बैक शेयरों की संख्या

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020	31 मार्च 1999	31 मार्च 1998
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
नकद के अलावा अन्य आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर बाय बैक	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें / अधिकार :

(क) मतदान:

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसका सम मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ख) परिसमापन:

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) लाभांश :

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है

इक्विटी शेयरों की संख्या और वर्ष के आरंभ में और अंत में बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021 को	
	शेयरों की संख्या	रूपए लाख में	शेयरों की संख्या	रूपए लाख में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	1640,50,000	16,405.00	1640,50,000	16,405.00
जमा : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	89,50,000	895.00	-	-
घटा : वर्ष के दौरान शेयरों की पुनर्खरीद	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	**1730,00,000**	**17,300.00**	**1640,50,000**	**16,405.00**

10 अन्य इक्विटी

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(क) सेवानिवृत्त आय		
प्रारंभिक जमा	419.56	354.82
जमा: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	586.67	64.74
समापन शेष	**1,006.23**	**419.56**
(ख) अर्ध इक्विटी (इरकॉन से ऋण)		
प्रारंभिक जमा	-	-
वष के दौरान प्राप्त	1,386.00	-
समापन शेष	**1,386.00**	**-**
(ग) पूंजीगत प्रतिधारित आरक्षित निधि		
प्रारंभिक जमा	-	-
जमा : इक्विटी शेयरों के बाय बैक के लिए स्थानांतरण	-	-
समापन शेष		
(घ) अन्य वृहत आय की मदें		
आरंभिक शेष		
विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	-	-
समापन शेष		
सकल योग	**2,392.23**	**419.56**

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारण आय

प्रतिधारित आय, कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड

सीआईएन - U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

11. **वित्तीय देयताएं (गैर चालू)**

11.1 **ऋण**

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
रक्षित :	-	-
बैंक से ऋण		
#पंजाब नेशनल बैंक से ऋण**	32,528.65	31,209.15
अरक्षित:		
होल्डिंग कंपनी से ऋण (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)*	3,876.00	2,646.00
कुल	**36,404.65**	**33,855.15**

नोट:

अरक्षित ऋण

*****होल्डिंग कंपनी (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड) से ऋण के नियम और शर्तें**

1. अनुमोदित :-26.46 करोड़ रूपए

(i) ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर समय-समय पर प्रचलित एसबीआई की एक वर्ष की एमसीएलआर दर और 0.50% होगी।

(ii) ऋण संवितरण की अवधि इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 6 महीने की अवधि होगी।

(iii) गैर-जमानती ऋण को सीओडी से 12 वर्ष बाद शुरू होने वाले 2.5 वर्षों में संरचित अर्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जाएगा।

(iv) ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाएगी और छमाही किश्तों में देय होगी।

2. स्वीकृति :- 25.00 करोड़

(i) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर पीएनबी के 1 महीने के एमसीएलआर + 0.25% (समय-समय पर लागू) पर होगी।

(ii) ऋण संवितरण की अवधि समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि होगी।

(iii) असुरक्षित ऋण की चुकौती सीओडी से 12 वर्षों के बाद शुरू करते हुए 2.5 वर्षों में या वरिष्ठ ऋणदाता के पूर्ण सावधि ऋण की चुकौती, जो भी पहले हो, संरचित अर्ध-वार्षिक किश्तों में की जाएगी।

(iv) ब्याज की गणना मासिक किराए के आधार पर की जाएगी।

**** पंजाब नेशनल बैंक की निबंधन और शर्तों**

अनुमोदित :- 502.76 करोड रूपए

(i) ऋण पर प्रभारित ब्याज दर 1 माह की एमसीएलआर (7.35%-सितंबर2020)+0.60% अर्थात 7.95% प्रति वर्ष होगी, जो वर्तमान में समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है।

(ii) पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष और 6 महीने होगी (दिनांक 24.04.2021 से आरंभ होकर और अंतिम किस्त दिनांक 24.07.2031 को होगी)।

(iii) सावधि ऋण की पुनभुगतान दिनांक 24 अप्रैल 2021 से 42 तिमाही किश्तों में किया जाएगा।

(iv) ब्याज का भुगतान देय होने पर किया जाएगा।

(v) मियादी ऋण को भारतीय एनएचएआई की प्रथम वार्षिकी की प्राप्ति या सीओडी जमा 180 दिन, जो भी बाद में हो, तक मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेटेड केयर एएए) की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित होना चाहिए।

(vi) ऋण निम्नलिखित द्वारा रक्षित किया जाएगा-

(क) पहले शुल्क का भुगतान कंपनी की सभी अचल संपत्ति / चल संपत्ति (परियोजना संपत्ति के अलावा अन्य; संचालन चरण में कंपनी के मुक्त प्रवाह से प्राप्त किए गए को छोड़कर) के हाइपोथिकेशन के माध्यम से किया जाएगा और समय-समय पर ऋणदाता को इसे सूचित किया जा रहा है।

(ख) परियोजना के पुस्तक ऋण पर पहला प्रभार, नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, जो भी प्रकृति का राजस्व और जहां भी उत्पन्न होता है, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त, सद्भावना और अवांछित पूंजी (वर्तमान और भविष्य) का संचालन।

(ग) परियोजना बैंक खाते पर पहला प्रभार, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किया जाएगा और आय का उपयोग ऋणदाता द्वारा तय की जाने वाली प्राथमिकता और तरीके से किया जाएगा।

(घ) उधारकर्ता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए परियोजना, साख पत्र (यदि कोई हो) से संबंधित सभी समझौतों के तहत कंपनी के सभी अधिकारों और ब्याज का निर्धारण, और किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और निष्पादन बांड।

(ड.) सुविधा के लिए ऋणदाता की ओर से प्राधिकरण द्वारा निष्पादित प्रतिस्थापन समझौता।

(च) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का समनुदेशन।

(छ) कंपनी को अनुमोदित मद के रूप में कोई तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आवश्यकता नहीं है।

11.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
जमा, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि	12.19	-
कुल	**12.19**	**-**

12 वित्तीय देयताएं (चालू)

12.1 ऋण

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
रक्षित		
बैंक से ऋण		
# दीर्घकाली ऋणों की चालू परिपक्वताएं	1,884.00	1,884.00
कुल	**1,884.00**	**1,884.00**

#कंपनी ने सावधि ऋण लागू किया है, जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था और इससे संबंधित नियम और शर्तों के लिए बिंदु 11.1 को देखें।

12.2 व्यापार देय

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (नोट संख्या 31 देखें)		
अन्य:		
(क) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	-	-
(ख) संबंधित पक्ष	3,612.41	5,656.61
कुल	**3,612.41**	**5,656.61**

व्यापार प्राप्य अवधि अनुसूची

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि			1,670.36	1,235.85	706.20	-	**3,612.41**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का विवादित बकाया							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया							

विवरण	बिना बिल	अदेय	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि			4,950.41	706.20			**5,656.61**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का विवादित बकाया							
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया							

13 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उधार पर अर्जित ब्याज*	-	223.45
ग्राहक से अग्रिम पर देय ब्याज	-	-
अन्य देय (कर्मचारी देय सहित)	103.86	1,452.85
कुल	**103.86**	**1,676.30**

***विवरण के लिए कृपया नोट-11.1 देखें**

14 अन्य वर्तमान देनदारियां

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	-	-
घटा : विरोध के तहत जमा	-	-
अग्रिम अनुबंध रसीदें	-	-
ख) अन्य		
सांविधिक देय राशियां	70.36	148.37
कुल	**70.36**	**148.37**

नोट

क) वैधानिक बकाया में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और अन्य वैधानिक देय राशि शामिल है।

14(क) प्रावधान

(रूपए लाख में)

विवरण	राशि
संविदागत अनुबंध के लिए प्रावधान*	
01-अप्रैल 2021 तक	
वर्तमान	-
गैर वर्तमान	-
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	157.36
कम: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया	-
कम: वर्ष के दौरान वापस लिखें	-
(विनिमय लाभ)/हानि	-
छूट की समाप्ति	-
31-मार्च 2022 तक	**157.36**
मौजूदा	157.36
गैर वर्तमान	-

** कंपनी के पास अनुबंध है, जहां कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में इंड एएस 115 और इंड एएस 37 के अनुसार, कंपनी को इन हानियों को वहन करना होगा। यह प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड

CIN- U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

15 प्रचालनों से राजस्व

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
एससीए के तहत निर्माण अनुबंध राजस्व (नोट 23 देखें)	797.76	19,306.31
अन्य राजस्व		
अन्य प्रचालनिक राजस्व	-	-
कुल	**797.76**	**19,306.31**

16 अन्य आय

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय :		
मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आय		
बैंक ब्याज सकल	79.53	36.52
आयकर प्रतिपूर्ति पर ब्याज	-	52.85
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	-	0.05
अन्य विविध आय	3.14	
एफए पर ब्याज आय	3,690.65	
कुल	**3,773.32**	**89.42**

इरकॉन देवागेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
CIN- U45500DL2017GOI317401
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

17 परियोजना और अन्य व्यय

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय		507.35	16,345.35	-	-
संचालन और रखरखाव व्यय		122.94	-	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि।		80.65	136.24	-	-
मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव		-	-	-	-
किराया - गैर आवासीय		0.47	2.73	6.52	-
उर्जा, बिजली और पानी के शुल्क		14.75	7.43	-	-
बीमा		19.72	54.75	40.14	-
यात्रा और परिवहन		-	0.19	0.49	-
मुद्रण और स्टेशनरी		0.06	0.09	0.14	-
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स		0.15	-	-	-
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क		0.03	9.86	7.86	0.24
व्यापार संवर्धन		-	-	-	-
का लिखना बंद:					
अशोध्य ऋण		-	-	-	-
अशोध्य अग्रिम		-	-	-	-
अशोध्य संपत्ति		-	-	0.04	-
संपत्ति/भंडार की बिक्री पर नुकसान		-	-	-	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	(i)	-	-	1.38	1.25
विज्ञापन और प्रचार		-	-	1.42	-
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	-	-
विविध व्यय		-	0.05	0.56	
निगमित खर्च		-	-		
प्रावधान (जमा - पश्च लिखित) (नोट 16 देखें)					
प्रावधानों का उपयोग किया		157.36			
कुल		**903.48**	**16,556.69**	**58.55**	**1.49**

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान :

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.75	0.65
(ख) सीमित समीक्षा शुल्क	0.40	0.30
(ग) कर लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.23	0.15
(घ) प्रमाणन शुल्क		0.15
कुल	**1.38**	**1.25**

18 कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु		
		प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल	प्रचालनिक	अन्य (प्रशासनिक)	कुल
वेतन, मजदूरी और बोनस		51.99	-	51.99	37.46	-	37.46
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		5.04	-	5.04	3.67	-	3.67
विदेश सेवा योगदान		-	-	-	-	-	-
सेवानिवृत्ति लाभ		6.02	-	6.02	3.33	-	3.33
कर्मचारी कल्याण		0.08		0.08	-	-	-
कुल		**63.13**	**-**	**63.13**	**44.46**	**-**	**44.46**

19 वित्तीय लागत

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय (इरकॉन से ऋण)		208.93	1,869.68
अन्य उधार लागत		-	-
बैंक ऋण पर ब्याज (पीएनबी)		2,498.67	658.88
बैंक गारंटी और अन्य शुल्क		1.18	139.84
ग्राहकों से मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लागत		-	97.33
घटाएं:-मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आय		- -	-60.7 36.63
टीडीएस पर ब्याज			1.06
कुल		**2,708.78**	**2,706.09**

20 मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि

(रूपए लाख में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण		0.24	0.13
कुल		**0.24**	**0.13**

इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड

सीआईएन - U45500DL2017GOI317401

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के नोट

21 प्रति शेयर आमदनी

भारतीय लेखांकन मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

है।

विलयित ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों के कारण अवधि के लिए लाभ को विभाजित करके की जाती है, इस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जो सभी के रूपांतरण पर जारी किए जाएंगे, इक्विटी शेयरों में मिश्रित संभावित इक्विटी शेयर के प्रभाव पर

(i) मूल और विलयित प्रति शेयर आमदनियां (रूपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (लाख रुपये में)	(ii)	586.67	64.74
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	167784137	164050000
प्रति शेयर आय (मूल)		0.35	0.04
प्रति शेयर आय (विलयित)		0.35	0.04
प्रति शेयर अंकित मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के प्रति लाभ (डिनामिनेटर के रूप में प्रयुक्त) (लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	586.67	64.74
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ:	**586.67**	**64.74**

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (न्यूमरेटरा के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	164050000	164,050,000
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	3734137	-
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**167784137**	**164,050,000**
विलयित प्रभाव :		
जमा: वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**167784137**	**164,050,000**

22 संबंधित पक्ष संव्यवहार

भारतीय लेखांकन मानक 24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

सबंधित पक्षों की सूची

(i) धारक कंपनी

इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड

(ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

नाम	पदनाम
श्री अशोक कुमार गोयल (11 मई 2017 से प्रभावी)	इरकॉन के निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता (5 सितंबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक)	इरकॉन के निदेशक
श्री श्याम लाल गुप्ता (1 नवंबर, 2019 से 13 मई, 2021 तक)	इरकॉन के निदेशक
योगेश कुमार मिश्रा (13 मई, 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक)	इरकॉन के निदेशक
मसूद अहमद (2 अगस्त, 2021 से प्रभावी)	इरकान के निदेशक
मुगुनथन बोजू गौड़ा (1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी)	इरकॉन के निदेशक
पराग वर्मा (29 दिसंबर, 2021 से प्रभावी)	इरकॉन के निदेशक
रितु अरोड़ा (13 मई, 2021 से प्रभावी)	इरकॉन के निदेशक
श्री नागानगौड़ा हनुमंतगौड़ा पाटिल (18 जुलाई, 2018 से प्रभावी)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सुश्री कृतिका गुप्ता (19 अगस्त 2020 से 1 जुलाई 2021 तक)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री महादेब मंडल (1 जुलाई, 2021 से प्रभावी)	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सुश्री पूजा रस्तोगी (1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक)	कंपनी सचिव

ख) अन्य संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुार है: **(रूपए लाख में)**

संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
1) प्रतिपूर्ति व्यय	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	16.26	17.62
2) कार्य अनुबंध			507.35	16,345.35
3) किराया व्यय (जीएसटी सहित)			2.97	2.73
4) ऋण पर ब्याज			208.93	1,869.68
5) मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज- आय			-	60.70
6) इक्विटी शेयरों में निवेश			895.00	-
7) अर्ध इक्विटी			1,386.00	-
8) ऋण			1,230.00	8,396.00
9) अन्य देय			3,612.41	5,656.61

ग) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि इस प्रकार है:

संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु
रिपोर्टिंग तिथि को देय शेष	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	धारक कंपनी	3,612.41	5,656.61

(घ) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं: **(रूपए लाख में)**

क्र.सं	विवरण	31.03.2022 तक की अवधि के दौरान	31.03.2021 तक की अवधि के दौरान
1	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	51.99	37.46
2	पोस्ट रोजगार लाभ	5.04	3.67
3	सिटिंग फीस	-	-
4	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ	6.02	3.33
5	कर्मचारी कल्याण	0.08	
कुल		**63.13**	**44.46**

(ड.) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के अनुरूप किया जाता है जो आर्म लैंथ के लेन-देन में प्रबल होती हैं।

(ii) रिपोर्टिंग तिथि पर संबंधित पक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ये शेष राशि ब्याज मुक्त हैं।

23: सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "ग" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -115)। परिशिष्ट "ग" यदि लागू हो:

क) गारंटर नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूत सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान की जाएंगी; तथा

ख) गारंटर स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्गत अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या गारंटर के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएचएचएल) ने दिनांक 19.06.2017 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सेवा रियायत की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके संदर्भ में रियायत करार की शर्तों के अनुसार एनएचपीडी चरण-V के अंतर्गत अभिकल्प, निर्मण, वित्तपोषण, प्रचालन तथा अंतरण (डीबीएफओटी) पर हाइब्राइड वार्षिकी परियोजना के रूप में निष्पादित किए जाने हेतु कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4) पर किमी 260.00 से किमी 338.923 तक (लगभग 78.923 किमी) खंड सहित देवांगेरे - हवेरी को छह लेन का बनाने का कार्य सौंपा गया है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईडीएचएचएल के पास देवांगेरे हवेरी खंड के छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है। परियोजना वार्षिकी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 15 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और इरकॉनडीएचएचएल के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्यों के पूरा होने पर एनएचएआई से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत समझौते के तहत 48,366.43 लाख रूपए की वित्तीय संपत्ति को स्वीकार किया है। कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक एससीए के तहत सड़क के निर्माण पर 797.76 लाख रुपये के राजस्व को इंड एएस के अनुसार "ग्राहकों से राजस्व" के रूप में इंड एएस-115 के तहत स्वीकार किया है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को स्वीकार किया है और इन्हें अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है, जिसे दिनांक 28 मई, 2022 को लक्ष्य की समाप्ति के आधार पर संविदा की शर्तों के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

इंड एएस-115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-115: ग्राहकों से राजस्व में परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
स्वीकृत संविदा राजस्व	797.76	19,306.31
वहन लागत का सकल मूल्य	1,316.28	19,306.31
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की राशि	-	-
ग्राहकों द्वारा प्रतिधारित राशि	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निर्माण सेवा के विनिमय हेतु अवधि के दौरान स्वीकृत लाभ/(हानि)	(518.52)	-
संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	3,446.88	4,182.91

24. **उचित मूल्य मापन**

(i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

विवरण	31 मार्च 2022 को			31 मार्च 2021 को		
वित्तीय संपत्ति	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित मूल्य			
(i) निवेश						
(ii) ऋण						
(iii) अन्य वित्तीय संपत्तियां			50,171.23			46,406.03
			50,171.23			**46,406.03**
वित्तीय देनदारियों						
(i) उधार			38,288.65			35,739.15
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां			116.05			1,676.30
			38,404.70			**37,415.45**

ख) उचित मूल्य पदक्रम

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट।

ग) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-

कुल				
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	50,171.23	-	-	50,171.23
कुल	50,171.23	-	-	50,171.23

(रूपए लाख में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	38,288.65	-	-	38,288.65
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	116.05			116.05
कुल	**38,404.70**	-	-	**38,404.70**

घ) दिनांक 31 मार्च 2021 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

विवरण	**वहन मूल्य**	**उचित मूल्य**		
		स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां म्युचुवल फंड में निवेश	-	-		-
कुल				
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांडों में निवेश				
(ii) ऋण	-	-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	46,406.03	-	-	46,406.03
कुल	**46,406.03**	-	-	**46,406.03**

(रूपए लाख में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	35,739.15			35,739.15
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	1,676.30			1,676.30
कुल	**37,415.45**			**37,415.45**

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने परइन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में माध्यम के रूप में आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा कहा गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

(ii) कंपनी द्वारा ब्याज दरों, विशिष्ट देश जोखिम कारकों और अन्य जोखिम कारकों जैसे मापदंडों पर दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर उधार का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ऐसे भुगतानों का उचित मूल्य उनकी वहन राशि से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है।

* वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर्ज, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी का ग्राहक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण पैसे शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक/निगमित गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है जो वसूली हेतु उचित ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के प्रति कंपनी का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है, जिसमें ग्राहक प्रचालन करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए लाख में)

विवरण	**31-03-2022**	**31-03-2021**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा राशि का मापन किया जाता है		-
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	45,996.52	38,568.27
चालू निवेश	-	-
रोकड और रोकड समतुल्य	509.87	1,541.07
अन्य बैंक शेष	2,646.00	2,646.00
चालू ऋण	-	-
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4,174.71	7,837.76
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा राशि का मापन		
व्यापार प्राप्त	3,446.88	4,182.91
संविदगत परिसंपत्तियां	-	-

(ii) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी हानि हानि की पहचान नहीं की गई है।

(iii) हानि हानि प्रावधानों का समाधान

विवरण	**31-03-2022**	**31-03-2021**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के लिए प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खाता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि को दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य लाख रूपए (31 मार्च 2021 : शून्य लाख रूपए) के घाटा प्रावधानों को स्वदीकार किया है।

ग) तरलता (नकदी) जोखिम

कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और ऋण लाइनों की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी का निगमित ट्रेजरी विभाग तरलता (नकदी), वित्तपोषण और निपटान संबंधी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल और तुलन पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और नीतिगत पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन अपनी निवेश नीति की देखरेख करती है और अपने निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करती है। प्रमुख हानि के संभावित जोखिम को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, नीति में आम तौर पर निवेश ग्रेड की आवश्यकता होती है।

दिनांक 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	**31 मार्च, 2022 को**		
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2 वर्ष और अधिक**
कर्ज	1,884.00	2,512.00	30,016.65
व्यापार प्राप्य	3,612.41	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	116.05	-	-
			(रूपए लाख में)
विवरण	**31 मार्च, 2021 को**		
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2 वर्ष और अधिक**
कर्ज	1,884.00	1,884.00	29,325.15
व्यापार प्राप्य	5,656.61	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	1,676.30	-	-

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जब कई समकक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या आर्थिक विशेषताएं समान होती हैं, जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में परिवर्तन से प्रभावित होने के लिए संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का कारण बनती हैं। सांद्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास के लिए कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

जोखिम की अत्यधिक सांद्रता से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों की पहचान की गई सांद्रता को उसी के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्वों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है:

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31.03.2022	31.03.2021
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	797.76	19,306.31
	797.76	**19,306.31**

ग: पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी क्षमता को बनाए रखना और सुरक्षित रखने की क्षमता के रूप में अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है, ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ दे सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान इस प्रकार किया है: -

लाभांश :-

विवरण	**31 मार्च 2022**	**31 मार्च 2021**
प्रदत्त लाभांश	-	-
कुल	**-**	**-**

इसके अतिरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी होल्डिंग कंपनी से 1230.00 लाख रुपये (पिछले साल 2,646 लाख रुपये) का सावधि ऋण अपनी परियोजना के वित्तपोषण के लिए लिया है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक से 3203.69 लाख रुपये (पिछले साल 33093.15 लाख रुपये) का सावधि ऋण लिया है।

ऋण इक्विटी अनुपात:

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
कर्ज (नोट सं. 11)	38,288.65	35,739.15
दीर्घकालीन ऋण	**38,288.65**	**35,739.15**
इक्विटी (नोट सं. 9)	17,300.00	16,405.00
अन्य इक्विटी (नोट सं. 10)	2,392.23	419.56
कुल इक्विटी	**19,692.23**	**16,824.56**
ऋण इक्विटी अनुपात	**1.94**	**2.12**

25: आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

(I) आकस्मिक देयताएँ:

(क) ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के विरूद्ध दावे: शून्य रूपए (पिछला वर्ष: शून्य रूपए)।

(ख) वित्तीय गारंटी रहित गारंटी: शून्य (पिछले वर्ष : शून्य रूपए)।

(II) आकस्मिक संपत्ति: शून्य (पिछले वर्ष शून्य)।

26. प्रतिबद्धताएं:

क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जिन्हें पूंजी खाते और अन्य पर निष्पादित किया जाना है शून्य रूपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) हैं।

ख) अन्य प्रतिबद्धताएं: 26415.99 लाख रूपए (पिछले वर्ष : 26682.60 लाख रूपए)।

II. खंड रिपोर्टिंग:

(I) सामान्य सूचना

प्रचालनिक सेगमेंट को एक उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए पृथक वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए और निष्पादन का आकलन कैसे किया जाए। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (सीओडीएम) है। कंपनी महाराष्ट्र राज्य में अवसंरचना के विकास के व्यवसाय में कार्यरत है और मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारण (सीओडीएम), एक सेगमेंट के रूप में व्यवसाय के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है, इसलिए इंड एएस 108 के अनुसार किसी अलग सेगमेंट को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) भौगोलिक सूचना संबंधी जानकारी

चूंकि कंपनी एकल भौगोलिक खंड अर्थात भारत में कार्यरत है, इसलिए अलग से किसी भौगोलिक खंड का प्रकटन नहीं किया गया है।"

(iii) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी

एकल ग्राहक अर्थात एनएचएआई से 797.76 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त होते हैं जो कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक है।"

III. अन्य निकायों में ब्याज: शून्य रूपए (पिछला वर्ष शून्य)।

27. पट्टों के संबंध में प्रकटीकरण:

क. पट्टाधारी के रूप में:

कंपनी के पास ऐसी कोई पट्टा व्यवस्था नहीं है, जो प्रकृति में रद्द न करने योग्य हो। तदनुसार, कंपनी द्वारा संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों को मान्यता नहीं दी गई है।

कंपनी ने कार्यालय को 12 महीने या उससे कम की लीज शर्तों के साथ पट्टे पर लिया है। कंपनी ऐसे पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टा' मान्यता छूट लागू करती है।

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ निम्नलिखित हैं:

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 17 देखें)	2.97	2.73
(क) पट्टेदार के रूप में कंपनी कंपनी के पास पट्टेदार के रूप में कोई पट्टे की व्यवस्था नहीं है।		

28. परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो की समीक्षा की है। चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, वर्ष के दौरान किसी प्रकार की हानि क्षति को स्वीकार नहीं किया गया है।

29. कर्मचारी लाभों

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों धारक कंपनी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति/सेगमेंट आधार पर तैनात किया गया है। लेखांकन नीति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा इंड एएस-19 की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान और पेंशन अंशदान को धारक कंपनी द्वारा नियमित रूप से भविष्य निधि ट्रस्ट में जमा कराया जाता है।

30. **ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व पर इंड एएस -115 के अंतर्गत प्रकटन**

(क) राजस्व से असंयोजन

प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का असंयोजन निम्नानुसार है:

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस-115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि		अन्य राजस्व	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	-		-				-

		-		-	-	-	
राजमार्ग	797.76	-	**797.76**	797.76	-	-	797.76
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**797.76**	-	**797.76**	**797.76**	-	-	**797.76**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 797.76 लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

उत्पाद या सेवा का प्रकार	**31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु**						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			**निष्पादन दायित्वों के मापन हेतु विधि**		**अन्य राजस्व**	**लाभ व हानि के विवरण के अनुसार कुल**
	घरेलू	**विदेशी**	**कुल**	**इनपुट विधि**	**आउटपुट विधि**		
रेलवे	-	-	-	-	-	-	-
राजमार्ग	19,306.31	-	**19,306.31**	19,306.31	-	-	19,306.31
इलैक्ट्रिकल	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**19,306.31**	-	**19,306.31**	**19,306.31**	-	-	**19,306.31**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से, 19,306.31 लाख रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया है और शून्य रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. संविदा शेष: **(रूपए लाख में)**

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
व्यापार प्राप्य (नोट 6)	3,446.88	4,182.91
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 4 तथा 6)	48,366.43	46,379.32
संविदा दायित्व (नोट 14)	-	-

(i) व्यापार प्राप्य बिना ब्याज के हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में 45 से 60 दिनों की अवधि की ऋण अवधि सहित मासिक प्रगति भुगतान, मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2022 को**	**31 मार्च 2021 को**
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	46,379.32	42,288.60
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	48,366.43	46,379.32
निवल वृद्धि/कमी	**1,987.11**	**4,090.72**

"वर्ष 2021-22 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 1987.11 लाख रूपए की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण है, जबकि किए गए कार्यों के संविदागत शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।"

"वर्ष 2020-21 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 4090.72 लाख रूपए की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता के कारण है, जबकि किए गए कार्यों के संविदागत शर्तों के आधार पर प्रमाणित किया गया है।"

(iii) निर्माण संविदा से उत्पन्न संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष हैं और यह तब उत्पन्न होती है जब दीर्घकालीन निर्माण संविदा में विशिष्ट लक्ष्य इनपुट विधि के अंतर्गत स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है। अग्रिम राशि को निर्माण अवधि के ऊपर समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इन्वाइसिंग प्राप्त होती है।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन

(रूपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां	-	2,942.50
वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां	-	-
निवल वृद्धि/कमी	-	**-2,942.50**

वर्ष 2020-21 के लिए - पिछले वर्ष की तुलना में 2,942.50 लाख रुपये की शुद्ध कमी हुई है जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण हैं।

ग. स्वीकृत राजस्व की राशि निम्नानुसार है:

(i) निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि किस प्रकार राजस्व अग्रेणीत संविदा दायित्वों के संबंध में चालू रिपोर्टिंग अवधि में स्वीकार किया जाता है:

विवरण	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
वर्ष के आरंभ में संविदागत देयताओं में शामिल राशि	-	-
पिछले वर्ष संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ङ. संविदाओं को प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (दिनांक 31 मार्च, 2021 तक: शून्य रूपए)

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2020-21: शून्य रूपए)

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों से संबंधित सूचना नीचे सारबद्ध है:
31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित संव्यवहार मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए लाख में)

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
एक वर्ष के भीतर	281.17	26,682.60
एक वर्ष से दो वर्ष तक	272.22	-
दो वर्ष से अधिक	25,862.60	-
कुल	**26,415.99**	**26,682.60**

* ऊपर प्रकट राशि में परिवर्तन शामिल नहीं है, जो सीमित है।

31. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार हैं: -**

(रूपए लाख में)

क्र.सं	विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु
1.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कारण मूल राशि और उस पर लगने वाला ब्याज किसी भी मूल राशि के लिए बकाया नहीं है। उपर्युक्त पर ब्याज	-	-
2.	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि।	-	-
3.	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देयस और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु र्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
4.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि;	-	-
5.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौतीयोग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

32. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में संशोधन के अनुसार प्रकटीकरण:

निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 24 मार्च 2021 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधन किया है, जो ऐसे प्रकटनों के संबंध में जो दिनांक 01 अप्रैल 2021 से लागू हैं। कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उक्त संशोधन के अनुसार परिवर्तनों को शामिल किया है और नीचे दिए गए प्रकटन, उक्त संशोधन के अनुपालन में किए गए हैं:

(i) कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-560 के तहत वर्ष के दौरान बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

(ii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(iii) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) कंपनी के पास इक्विटी में बदलाव के बयान में अलग से खुलासा करने के लिए कोई पूर्व अवधि की त्रुटियां नहीं हैं।

(v) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है, जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

(vi) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।

(vii) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्त्पोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।

(viii) कंपनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में

कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

(ix) कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो उन लेखा बिहयों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे, खोज या सर्वेक्षण) के तहत या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकटन किया गया है। या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।

(x) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप घोषित नहीं किया गया है।

(xi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।

(xii) कंपनी को बैंक के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दायर किए गए विवरण और खात बहियों के समायोजन का प्रावधान लागू नहीं है।

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	31 मार्च 2022	31मार्च 2021	% परिवर्तन	25% से अधिक परिवर्तन का कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान किराया संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	2.74	2.29	19.31%	लागू नहीं
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	1.94	2.12	-8.47%	लागू नहीं
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	0.72	0.08	811.80%	इरकॉन को चुकाया गया ऋण
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	करों के बाद शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.00	733.42%	चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि के कारण
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत सूची	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	0.21	7.76	-97.31%	चालू वर्ष में निर्माण राजस्व में कमी के कारण
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद = सकल ऋण खरीद - खरीद वापसी	औसत व्यापार देय	0.11	3.99	-97.26%	निर्माण लागत में कमी के कारण
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान संपत्ति - वर्तमान देनदारियां	0.08	1.59	-95.05%	चालू वित्त वर्ष में चालू संपत्ति और चालू देनदारी में कमी के कारण
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	0.74	0.00	21830.48%	चालू वर्ष में लाभ में वृद्धि के कारण
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.07	0.06	11.46%	लागू नहीं
निवेश पर वापसी	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	0.03	0.01	129.54%	वित्त आय में वृद्धि के कारण

33. भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार प्रकटीकरण 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'

लाभ और हानि के विवरण में विनिमय अंतर (शुद्ध) क्रेडिट/डेबिट की गई राशि शून्य है।

34. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत नहीं आती है और इस अवधि के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

35. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार प्रकटीकरण:

इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है, निवेश किया गया है और गारंटी दी गई है।

36. कोविड-19 प्रकटन

कंपनी ने संभावित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों की राशि की वसूली सहित अपने वित्तीय परिणामों की तैयारी में कोविड -19 से उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संभावित भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं को विकसित करने में कोविड-19 के कारण परिस्थितियों में, कंपनी ने सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद करती है कि परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की वसूली की जाएगी।

इस वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमान से भिन्न हो सकता है, क्योंकि भारत और विश्व स्तर पर कोविड-19 की स्थिति विकसित हो रही है। हालाँकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की गहनता से निगरानी करना जारी रखेगी। "

37. हाल की घोषणाएं

"कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2022 में संशोधन किया, जो निम्नानुसार है:-

1. इंड एएस 16 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण - संशोधन स्पष्ट करता है कि परीक्षण की लागत से अधिक उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय से अधिक है, यदि कोई हो, तो इसे लाभ या हानि में मान्यता नहीं दी जाएगी, किन्तु इसे प्रत्यक्ष संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत के भाग के रूप में आरोपणीय लागतों से कटौती माना जाएगा। इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात आरंभि होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. इंड एएस 37 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति - यह संशोधन विनिर्दिष्ट करता है कि 'अनुबंध को पूरा करने की लागत' में वे लागतें शामिल हैं जो सीधे संविदा से संबंधित हैं'। अनुबंध से सीधे संबंधित लागतें, या तो उस संविदा को पूरा करने की वृद्धिशील लागतें हो सकती हैं (उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होगी) या अन्य लागतों का आवंटन, जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं (उदाहरण के लिए संपत्ति, संयंत्र और अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त उपकरण की मद के रूप में मूल्यह्रास शुल्क का आवंटन)। इस संशोधन को लागू करने की प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि समयपूर्व प्रवर्तन की अनुमति है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके प्रभाव के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

3. इंड एएस 109 - वित्तीय साधन - वित्तीय देयताओं की अमान्यता के लिए '10 प्रतिशत' परीक्षण शुल्क

संशोधन उस शुल्क को स्पष्ट करता है, जिसमें वह इकाई शामिल होती है, जब यह आकलन किया जाता है कि क्या एक नई या संशोधित वित्तीय देयता की शर्तें मूल वित्तीय देयता की शर्तों से काफी भिन्न हैं। इन शुल्कों में केवल उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच भुगतान या प्राप्त शुल्क शामिल हैं, जिसमें उधारकर्ता या ऋणदाता द्वारा दूसरे की ओर से भुगतान या प्राप्त शुल्क शामिल हैं।

निकाय, उन वित्तीय दायित्वों में संशोधन को लागू करता है, जो उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के शुरू होने पर या उसके बाद संशोधित या बदले जाते हैं जिसमें प्रतिष्ठान पहले संशोधन को लागू करता है।"

38. अन्य प्रकटन

(i) कंपनी में, बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है।

(ii) प्रबंधन के मतानुसार, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर संपत्ति का मूल्य, तुलन पत्र में बताए गए मूल्य से कम नहीं होगा।

(iii) आंकड़े लाख रुपये के निकटतम में पूर्णांकित में हैं।

39. कुछ पूर्व अवधियों की कुछ राशियों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुतियों के अनुरूपता के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इन पुनर्वर्गीकरणों का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही, वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से अंतर करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े प्रकोष्ठ () के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार | **निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**

कृते सिंघल सुनिल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएल-008030एन

ह/-
मुगुंथन बोजू गोडा
निदेशक
डीआईएन: 08517013

ह/-
मसूद अहमद
निदेशक
डीआईएन: 09008553

ह/-
सीए सुनिल सिंघल
साझेदार
सं.सं: 086904

ह/-
नगनगैडा हनुमंथगैडा पाटिल
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ह/-
महादेब मंडल
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
प्रदीप बैसोया
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2022
यूडीआईएन: 22086904JLTTL4920

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 17 मई, 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह/-
((विक्रम डी. मुरूगराज)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.08.2022

इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड

(‘इरकॉनडीएचएचएल’)

<u>पंजीकृत और निगमित कार्यालय :</u>

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत

दूरभाष: +91-11-29565666 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000

ई-मेल आईडी: ircondhhl@gmail.com